खाद्य सुरक्षा

मानवीय अधिकार

जागोरी
JAGORI

दस्तावेज

अनुवाद, संकलन, संपादन, परिकल्पना व प्रस्तुति– सुनीता ठाकुर

आभार–

सलाहकार–कल्याणी मेनन, मंजीत एवं जागोरी समूह

भूमिका

अगस्त 98 में दिल्ली मे सरसों की मिलावट के कारण ड्राप्सी के भयानक प्रकोप के चलते कई लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। इसी के साथ शुरू हुआ सरसों के तेल पर सरकारी प्रतिबंध, तेल के स्टॉक के जब्तीकरण और सोयाबीन के मुक्त आयात का फैसले का सिलसिला। इस पूरे घटनाक्रम में तेल कंपनियों, सरकारी नौकरशाही और राजनीति को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए और सवालों के इस चक्रव्यूह को अलग थलग मानते हुए सरकार ने सोयाबीन के आयात का फैसला किया जिसमें आयातित सोयाबीन की क्वालिटी की ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया।

इस पूरे प्रकरण के चलते उत्तर भारत में न केवल सरसों की खेती पर असर पड़ा बल्कि सरसों का तेल (जो अब तक भारतीय जन मानस में अपनी महक, स्वाद के लिए एक सांस्कृतिक पहचान बना चुका था) व्यापार भी प्रभावित हुआ।

इस मिलावट के पीछे छिपी राजनीति को समझते हुए दिल्ली में नवधान्या व अनेक सामाजिक संगठनों ने सरकारी फैसले के खिलाफ़ अपना जन आंदोलन शुरू किया जिसमें अपने खाद्य अधिकारों के पक्ष में सोयाबीन के मुक्त आयात पर रोक लगाने की मांग की गई। दो साल पूर्व शुरू हुए इस जन खाद्य आंदोलन में आज हमारी जनता, हमारे किसान, हमारी बहनें, हमारे मज़दूर सब एकजुट होकर संघर्ष कर रहे हैं।

इस दस्तावेज के द्वारा हमने इस खाद्य आंदोलन की एक तस्वीर प्रस्तुत करने की कोशिश की है। पूरे दस्तावेज में लेखों को इस क्रम से रखा गया है ताकि पूरी विश्व राजनीति के संदर्भ में सोयाबीन की क्वालिटी, उसके आयात के सरकारी फैसले, बहुराष्ट्रीय कंपनियों के कृषि क्षेत्र में मनमाने वैज्ञानिक प्रयोग, उनके कारण हमारे पर्यावरण, ज़मीन और मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले हानिकारक प्रभावों को समझा जा सके।

इस दस्तावेज की प्रायः सामग्री अनुवादित और संपादित है। इसके लिए हम नवधान्या, वन्दना शिबा, के आभारी हैं। संदर्भ पत्रिकाएं–रिसर्जेन्स– अंक–79, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट–आई. एस. आई।

भोजन का अधिकार

राज्य और समाज की कल्पना के मूल में मनुष्य के भोजन, स्वास्थ्य और रहने की व्यवस्था का आदर्श केंद्र में रहा है। किसी भी देश या राज्य की सरकार वहां के निवासियों की इन मूलभूत आवश्यकताओं को नज़रअंदाज़ नहीं कर सकती, लेकिन आज विश्व व्यापारीकरण और वैज्ञानिक प्रयोगवाद के रहते ये मूल मानवीय अधिकार राजनीति के शिकार होते रहे हैं। आज कहने को तो भूख से आजादी किसी का भी एकछत्र अधिकार है लेकिन हमारी सरकार की आर्थिक उदारीकरण और कृषि के व्यापारीकरण की नीतियां विश्व व्यापार संगठन के सिद्धान्तों पर आधारित हैं। परिणामतः करोड़ों लोगों को 'भूख से आजादी' का यह अधिकार प्राप्त नहीं होता। इन नीतियों के चलते खाद्य व कृषि क्षेत्र में बाज़ारीकरण, एकाधिकार की वृत्ति बढ़ी है।

संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार ने अपने एक घोषणा पत्र में कहा कि वह 'इस बात में विश्वास रखते हैं कि सबको भूख से आजादी या भोजन के मौलिक अधिकार की समूचित प्राप्ति हो सके। इस घोषणा में यह भी स्पष्ट किया गया कि अमेरिका ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगा जिससे भोजन संबंधी अन्तराष्ट्रीय कानूनों में फेरबदल हो। जबकि व्यवहार में उसने कभी इसे मौलिक अधिकार का दर्जा दिया ही नहीं। अगर ऐसा होता तो एक रासायनिक कंपनी को खाद्य क्षेत्र में मनमाने प्रयोग करने का अधिकार न दिया जाता।

कुछ पारिभाषिक शब्द

टर्मिनेटर तकनीक क्या है ?

टर्मिनेटर तकनीक में बीज के अंदर ऐसे प्रोटीन डाले जाते हैं जो दोबारा अंकुरित नहीं हो सकते। इसका मतलब किसान इस तकनीक से तैयार बीज से दोबारा फसल नहीं पा सकते। अगर एक बार यह बीज देश में आ गया तो किसान इसे खरीदने के लिए बाध्य होंगे। अभी भी वैज्ञानिक यह नहीं जान पा रहे हैं कि इससे और किस किस तरह की हानियां हैं।

राउंड अप (खरपतवार नाशक) क्या है ?

राउंड अप एक रसायन है जिसके रूप में कंपनी ने एक विशेष खरपतवारनाशक विकसित किया। यह रसायन जिस पौधेपर गिर जाता है वह पौधा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। मोनसेन्टो भारत में जानलेवा पार्थेनियम घास को नष्ट करने के लिए यह रसायन बेचने की तैयारी कर रही है। भारत में पी. एल 480 के तहत गेहूं के साथ आई यह अमरीकी जंगली घास आज भारत के हर गांव और शहर में दमा, आंख की बीमारी और चर्मरोग पैदा करती है। साथ ही ज़मीन की उपज और उर्वरता को भी खत्म कर देती है।

पेटेंट क्या है ?

पेटेंट व्यवसायिक क्षेत्र में एक ऐसा अधिकार है जिसके ज़रिए कोई व्यापारिक कंपनी किसी उत्पाद, खोज, वस्तु, फसल, वनस्पति आदि पर अपना एकाधिकार प्राप्त कर लेती है। इसके तहत उसे उन्हें बेचने, परिवर्तित या संशोधित करने, विकसित करने व लाभ कमाने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। पेटेंट की गई वस्तु को प्राप्त करने या उसे इस्तेमाल करने से पहले एकाधिकार प्राप्त कंपनी की रज़ामंदी ज़रूरी हो जाती है।

जैव विविधता (बायोडायवर्सिटी) क्या है ?

जैव विविधता से हमारा अर्थ है किसी भी गांव, देश व संस्कृति की ज़मीन व उस पर उगने वाले समूचे, वनस्पति, खेत, फसलें, जीव जन्तु, जंगल और उसमें उगने वाली जड़ी बूटियां, वहां पर पाया जाने वाला पानी, ईंधन व चारे और पुरखों से प्राप्त पारंपरिक ज्ञाान। इस पर सिर्फ़ उसी गांव, देश व सभ्यता के लोगों का एकाधिकार होता है। इस पर सिर्फ़ उसी गांव, देश व सभ्यता के लोगों का एकाधिकार होना चाहिए।

जैव पंचायत क्या है ?

हमारे देश में गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पंचायती राज की कल्पना की गई। इसमें पंचायत को गांव के छोटे बड़े फैसले करने का अधिकार दिया गया। इसी तरह हर गांव की

अपनी जैव विविधता या खेत, बागान और प्राकृतिक संसाधन होते हैं। इन पर सिर्फ़ उसी गांव के लोगों का एकाधिकार होता है। हमारे नीम, हल्दी, काली मिर्च जैसी वनस्पतियों पर कई बहुराष्ट्रीय कंपनियां पेटेंट पाकर उल्हें अपना बता रही हैं। उनकी इस मनमानी के खिलाफ़ नवधान्य ने जैव पंचायतों की एक अनूठी परंपरा शुरू की है। इन जैव पंचायतों को अपने क्षेत्र की जैव विविधता की देखभाल, रक्षा और उसके संसाधनों पर पूरा अधिकार दिया गया है। यह हमारे देश की लुप्त हो रही पंचायत का नया जन्म तो है ही साथ ही हमारी जैविक पंरपरा के साथ खिलवाड़ करने वाली ऐसी कंपनियों के लिए खासा सबक भी है कि वे हमारी जैव विविधता के साथ किसी तरह का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकते हैं।

जैनेटिक इंजीनियरिंग क्या है ?

जैव परिशोधन एक ऐसी तकनीक है जिसके द्वारा बीजों में किन्हीं खास वनस्पतियों, फूल, जीव, कीट आदि के जीन्स का मेल कराकर उनका नया और भिन्न रूप प्राप्त किया जाता है। यह मेल किन्हीं खास उद्देश्य को ध्यान में रखकर किया जाता है। जैसे– बेहतर फसल, कम कीटनाशकों के प्रयोग की ज़रूरत, फसल की अधिक मात्रा आदि, लेकिन आजकल कृषि व खाद्य क्षेत्र में एकाधिकार की लालसा के कारण मोनसेन्टो जैसी कंपनियां इस क्षेत्र में मनमाने प्रयोग कर रही हैं जो पूरी मानव जाति के स्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है।

एक बीज
धरती की गोद में जन्म लेता है,
और उसी में समा जाता है...
वह धरती की ही सम्पत्ति है...
वह किसी मनुष्य की निजी
सम्पत्ति नहीं है...
वह उत्पादन पुनर्जीवन
और आज़ादी का प्रतीक है...
सब की आज़ादी,
केवल कुछ लोगों की नहीं...

नवधान्य
आज़ादी के बीज

ए-60 हौज़खास, नई दिल्ली - 110016
दूरभाष : 6968077 फैक्स : 6856795

बीज, किसान और विदेशी दबाव

वैज्ञानिक प्रयोगों के रहते कृषि क्षेत्र में जहां किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार आए हैं वहीं उनकी समस्याएं और ज्यादा अनुपात में बढ़ी हैं। नई नई फसलों और तकनीकों व कीटनाशक रसायनों के कारण वे अपनी परंपरागत कृषि प्रणाली से तो दूर हुए ही हैं। साथ ही नई कृषि व्यवस्था से पूर्णतः अनजान होने के कारण वे पूरी तरह कीटनाशकों और वैज्ञानिकों पर निर्भर हो गए हैं। इससे उनकी माली हालत सुधरने के बजाय कई बार गड़बड़ा ही जाती है। विशेषकर छोटे किसान अपनी आर्थिक मजबूरियों के रहते नई फसलों को लगने वाली नई नई बीमारियों के कारण काफ़ी परेशान रहते हैं।

जहां ज़मीनी स्तर पर किसान इन अनुभवों से गुजर रहे हैं, वहां बहुराष्ट्रीय कंपनियों के स्तर पर ऐसे प्रयास चल रहे हैं कि किसानों पर अपना नियंत्रण और बढ़ा लिया जाए। इसका प्रमुख साधन बीज को बनाया गया, क्योंकि बीज पर नियंत्रण होने से पूरी खेती–किसानी पर नियंत्रण हो सकता है।

> कृषि क्षेत्र में मोनसेन्टो जैसी रासायनिक कंपनियों के प्रवेश के रहते खाद्य क्षेत्र, पर्यावरण, मानव स्वास्थ्य, हमारी जैव व्यवस्था आदि विभिन्न क्षेत्रों में गंभीर खतरे पैदा हुए हैं साथ ही विश्व की खाद्य अर्थव्यवस्था में एकाधिकार बढ़ रहा है जो कहीं न कहीं धनी देशों द्वारा गरीब मुल्कों पर आर्थिक कब्जे के इतिहास को दोहराना कहा जा सकता है। चन्द पूंजीवादी ताकतों की पैसा कमाऊ नीतियों के रहते 'सबके लिए रोटी' जैसे आदर्शों की जड़ें खोद दी गई हैं।

विश्व स्तर की बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने छोटी छोटी कंपनियों को खरीदना आरंभ कर दिया। जो बड़ी कंपनियां इस क्षेत्र में आईं, वे पहले से कृषि रसायनों और खासतौर पर कीटनाशकों और खरपतवार नाशकों के उत्पादन में लगी हुई थीं। इस तरह बीज उद्योग और कृषि रसायन उद्योग एक ही तरह की कंपनी के हाथ में केंद्रीकृत होने लगा है।

कृषि क्षेत्र में जैव तकनीक के मार्फ़त कुछ महत्वपूर्ण अनुसंधान हो रहे हैं। वैज्ञानिक विशिष्ट गुणों वाले जीन को एक जीव से दूसरे जीव में प्रवेश दिला कर जीवन को नए नए रूप दे रहे हैं। इसके साथ ही कृषि अनुसंधान के क्षेत्र में आर्थिक संसाधनों वाले अनुसंधान कार्यक्रम बड़ी कंपनियों ने विकसित कर लिए। अपनी आर्थिक शक्ति के बल पर बड़ी कंपनियों ने सार्वजनिक क्षेत्र के कृषि संस्थानों में दखलंदाजी करनी शुरू कर दी और उनके वैज्ञानिकों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लिया।

इसके साथ ही विभिन्न पौधों की किस्मों पर पेटेंट लिए जा रहे हैं ताकि अपने विशिष्ट बीजों के आधार पर ये कंपनियां मनमाना व्यापार शुरू कर सकें। सन 1985 में सबसे पहले अमरीका ने पौधे का पेटेंट कराया। इसी देश में पशु का पेटेंट भी 1988 में दे दिया गया था।

इस तरह कदम दर कदम ऐसे प्रयासों की श्रृखंला है जिनसे विकासशील देशों की किसानी और खेतीबाड़ी पर अमीर देशों और वहां की बड़ी बड़ी कंपनियों का नियंत्रण बढ़ाया जा सके। विकसित देशों और उनकी कंपनियों की इस चालाकी व राजनीति को समझते हुए अब अनेक विकासशील देशों के किसान और पर्यावरणविद एकत्रित होकर इसके विरूद्ध संघर्ष कर रहे हैं। सरकार ने एक लाख टन सोयाबीन के आयात की घोषणा की है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि इस सोयाबीन में मोनसेन्टो का जैव परिशोधित सोयाबीन नहीं मिला होगा।

जनसत्ता . 12.10.98

T

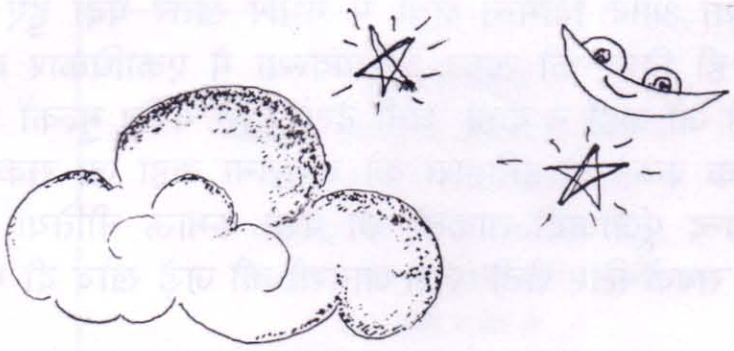

एक बीज की कहानी

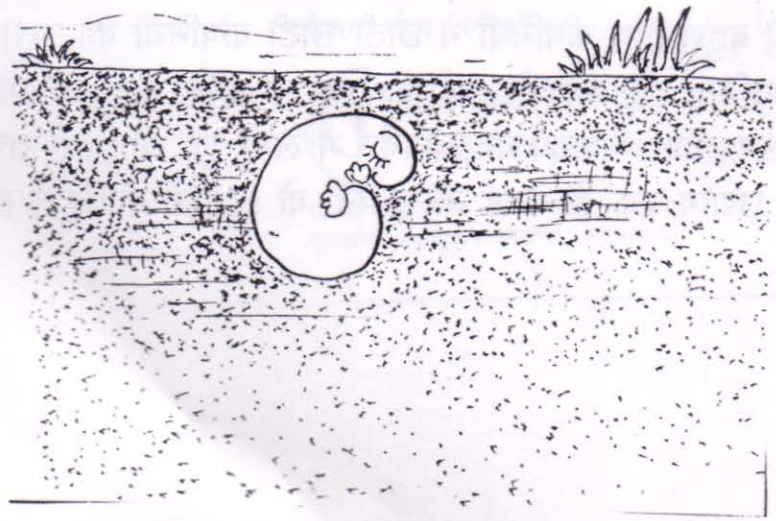

मोनसेन्टो

भूख और विनाश लाती अमरीकी कंपनी

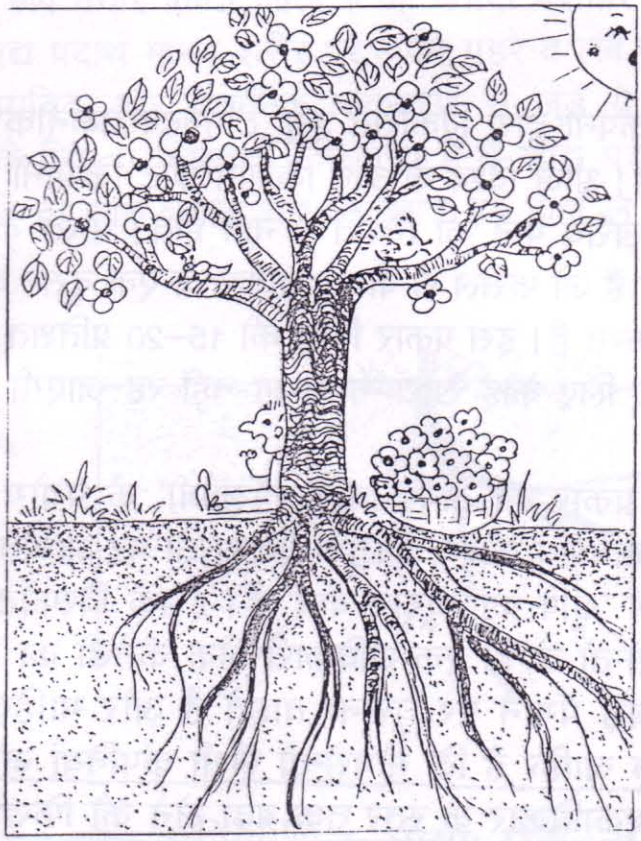

मोनसेन्टो एक अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो कि बीजों और जैव तकनीक के समस्त बाजार हथियाने में लगी है। यह कंपनी अब भारत में भी मोनसेन्टो इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड' और मोनसेन्टो इंटरप्राइसेस प्रा. लिमिटेड के नाम से प्रवेश कर गई है। इस दानव कंपनी का हर जगह पर्यावरण पर काम करने वाले विरोध करते आए हैं। क्योंकि यही वह कंपनी है जिसने अभी तक सबसे खतरनाक रसायनों को बनाया और चारों ओर फैलाया है। जैसे पी.सी. बी रसायन जिसका वियतनाम युद्ध के दौरान प्रयोग किया गया था और डाइऑक्सिन। इसी कंपनी की एक खोज है – बी.टी. कॉटन। यह कपास की एक ऐसी किस्म है जिसमें एक खास कीड़े से बचाव के लिए एक जहर लगातार प्रवाहित होता रहता है। यह कंपनी अपने उद्देश्य के लिए नारा देती है–'भोजन, स्वास्थ्य एवं आशा'। सच्चाई यह है कि यह कंपनी विश्व की कृषि व्यवस्था पर अपना एकाधिकार करना चाहती है।

इसी क्रम में इसने अमरीकी कृषि विभाग और डेल्टा पाईन कंपनी के साथ मिलकर एक नई तकनीक विकसित की है जिसे टर्मिनेटर टेक्नॉलॉजी कहते है। इससे विकसित बीज सिर्फ़ एक ही फसल देते हैं। दूसरी बार उनसे फसल प्राप्त करना संभव नहीं होता। ग़रीब और मध्यम वर्ग के किसानों को मजबूरन हर साल इस कंपनी पर बीजों के लिए निर्भर होना पड़ेगा। मोनसेन्टो ने भारी दाम देकर इस तकनीक का पेटेंट खरीद लिया है। इतना ही नहीं इस कंपनी ने विश्व की बड़ी बड़ी जैव तकनीक कंपनियों को भी खरीद लिया है। इसने भारत की भी एक बीज कंपनी माहिको का भी 26% हिस्सा अपने अधिकार में ले लिया है। कंपनी के एक अधिकारी जैक कैनेडी के अनुसार 'हम भारत के कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने

से घुसना चाहते हैं और माहिको इसमें हमारा अच्छा साधन होगा। संक्षेप में कहें तो इस कंपनी का एक ही उद्देश्य है कि विश्व की खाद्यान्न निर्भरता इनकी मुटठी में हो। भारत में इसने बेंगलूर में 25 मिलियन डालर खर्च करके एक अनुसंधान केंद्र की स्थापना की है जो पूरे एशिया में होने वाले कंपनी के अनुसंधानों के लिए केंद्र का काम करेगा। भारत सरकार ने अपनी उदारता का परिचय देते हुए इसे 'इंस्टीट्यूट ऑफ़ साईंसेज़' का एक महत्वपूर्ण अनुसंधान केंद्र उपहार स्वरूप दे दिया है। इस तरह तो एक दिन भारतीय कृषि और तकनीक के माध्यम से राष्ट्रीय सुरक्षा इन कंपनियों की दया की मोहताज हो जाएगी।

मोनसेन्टो और डेल्टा पाईन लैण्ड कंपनी द्वारा विकसित इस 'टर्मिनेटर तकनीक' ने बीज को ही बंद या नपुंसक बना दिया है। आज विश्व के आधे किसान छोटे किसानों की श्रेणी में आते है जो कि हर साल बीज खरीद पाने की स्थिति में नहीं होते। भारत के 70%से भी ज्यादा गरीब और मझले किसान हैं जो फसल से बीज बचाकर या एक दूसरे की अच्छी फसल से बीज उधार लेकर खेती कर्ते हैं। इस प्रकार विश्व की 15–20 प्रतिशत खाद्यान्न उपज करने वाले गरीब किसान के लिए कोई खाद्यान्न सुरक्षा नहीं रह जाएगी।

जरूरत इस बात की है कि इस प्रकार की टर्मिनेटर टेक्नॉलॉजी' के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जाए, क्योंकि यह मानवीय जीवन, सिद्धांत एवं सुरक्षा पर आघात है। एक वैज्ञानिक के अनुसार यह तकनीक 'कृषि का न्यूट्रान बम्ब' हैं। इसके विस्फोट से भूख से बिलबिला जाएगा विश्व। मोनसेन्टो के ही एक अधिकारी जैक कैनेडी का कहना है कि 'हम भारत के कृषि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर घुसना चाहते हैं और माहिको इसमें हमारा अच्छा साधन होगा'। साफ़ जाहिर है कि मोनसेन्टो जैसी कंपनियां जनहित के नाम पर अपने व्यापार को विश्व एकाधिकार के स्तर तक बढ़ा लेने की फ़िराक में हैं।

कृषि समाचार–मई. 98

जैव परिशोधन

जैव परिशोधन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा खाद्य पदार्थों की प्रतिरक्षण क्षमता , पोषकता, गुणता को विभिन्न रासायनिक और जैविक तरीकों से बढ़ाया जाता है। इस तकनीक से कुछ फ़ायदे भी होते हैं पर नुकसान ज्यादा होते हैं, क्योंकि अप्राकृतिक रूप से पौधों, फसलों, फलों के जीन्स, बैक्टीरिया आदि का मिलान करके पौधों, फसलों आदि का नया रूप तैयार किया जाता है जो ज्यादा पैदावार देता है। बड़े पैमाने पर पैदा होकर भी ये खाद्य पदार्थ मानव शरीर पर अपने गहरे व लंबे समय तक पड़ने वाले प्रभाव छोड़ते हैं। रासायनिक और वैज्ञानिक पक्रियाओं से जुड़े ये खाद्य पदार्थ मानव संस्कृति और सभ्यता के लिए एक खतरा पैदा करते हैं ये खाद्य पदार्थ हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि प्रकृति के साथ हमारा यह खिलवाड़ हमें कहां ले जाएगा।

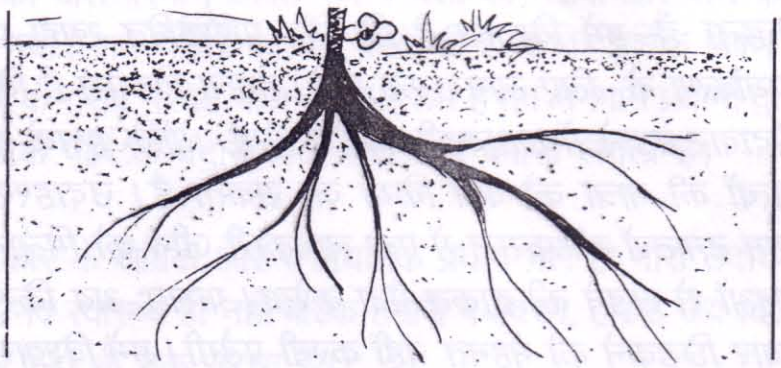

जैव परिशोधित सोयाः एक टर्मिनेटर तकनीक

कोई भी बीज अन्तहीन उपजाऊ क्षमता रखता है। जब हम बीज को देखते हैं तो उसके फलने फूलने की कामना करते हैं, लेकिन अब मोनसेन्टो और अमरीकी सरकार ने किसानों को हर साल नए बीज खरीदने के लिए मजबूर करने और बीज उपजाऊ क्षमता को टर्मिनेट करने के लिए जैव तकनीक को पेटेंट लिए है। मोनसेन्टो का यह प्रयोग दूसरी फसलों में भी अनउपजाऊपन की स्थिति ला सकता है और हमारी विकास प्रक्रिया व खाद्य सुरक्षा के लिए एक ख़तरा बन सकता है। मोनसेन्टो के हिमायती चाहते हैं कि उनके बीज बाजार में लाए जाएं और इस तरह हमारी बायोडायवर्सिटी बर्बाद हो जाए। टर्मिनेटर तकनीक के विश्वव्यापी प्रतिरोध को देखते हुए मोनसेन्टो ने इस बात का खण्डन करने की कोशिश की है कि इस तरह (टर्मिनेटर) की कोई तकनीक होती है। वे कहते हैं कि ऐसी कोई तकनीक नहीं है। उसने पेटेंट के संदर्भ में ऐसी भविष्यवाणी को नकारते हुए कहा कि इस तरह की भविष्यवाणी से हर तरह की जीवित वस्तु और आजादी को नष्ट करने की चेष्टा की जाती है।

क्या हमें वाकई जरूरत है जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों की

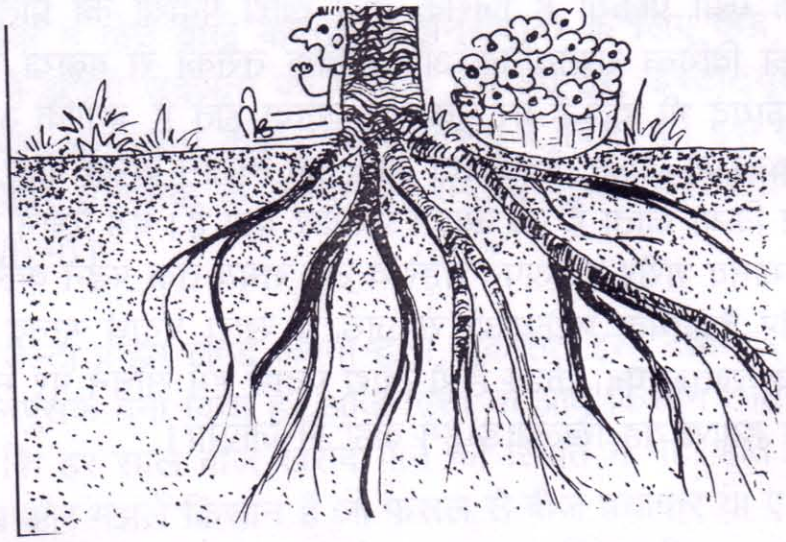

मोनसेन्टो का कहना है—हमें विश्वास है कि जैव परिशोधित खाद्य पदार्थ किसानों, उपभोक्ताओं और पर्यावरण के लिए लाभदायक होंगे। हमारा विश्वास है कि जैव तकनीक खाद्य पदार्थों की पैदावार बढ़ाने में लाभकारी साबित होगी क्योंकि इसके द्वारा खरपतवार और हानिकारक तत्वों की मात्रा को कम किया जा सकता है। उदाहरण के लिए इस तकनीक के द्वारा हम टमाटरों की फसल में एक लाभकारी जीन को मिलाने में सफल हुए हैं जो उसमें कीटाणुओं से लड़ने की ताकत पैदा करेगा। फलतः अब किसानों को अपनी फसलों पर खरपतवार छिड़कने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमें विश्वास है कि भविष्य में नए खाद्य पदार्थों द्वारा उपभोक्ताओं को सीधे सीधे लाभ प्राप्त होगा। उदाहरण के लिए 'हाइ बीटा कैरोटिन आयल' तीसरी दुनिया में फैली रतोंधी से लड़ने में सहायक होगा। या 'हाइ सैलिड पटेटो' में चर्बी की मात्रा कम होने से ज्यादा पौष्टिक खाद्य पदार्थ प्राप्त किए जा सकते हैं।

जैव परिशोधन से जुड़ी बहस में इस मुद्दे को नज़रंदाज कर दिया गया है कि एक सुरक्षित और कड़ी परीक्षण प्रक्रिया के बाद ही ये खाद्य पदार्थ उपभोक्ताओं तक पहुंचते हैं। आज 45 विभिन्न देशों के 25000 खेतों में 60 अलग अलग तरह की फसलें उगाई जा रही हैं। इस प्रयोग में पूरे विश्व के सौ से अधिक वैज्ञानिक सलाहकार जुड़े हैं।

इस तकनीक का एक पहलु और भी नज़रंदाज़ किया जाता रहा है। वह यह कि यह तकनीक उतनी नई नहीं है जितनी लगती है। अमरीका में कीटाणु रोधक आलू और मक्का पिछले दो से ज्यादा सालों से बोई और बेची जाती रही है। कनाडा में खाद्य पदार्थों में इस तरह के प्रयोग होते रहे हैं। इस वैज्ञानिक स्वर्ण युग में जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों पर इस तरह की बहस होना खुद में महत्वपूर्ण बात है। सन 2030 तक विश्व की जनसंख्या

दोगुनी हो जाने की आशा है जबकि हमें उपजाऊ जमीन ही उतनी मात्रा में उपलब्ध होगी। इसलिए बढ़ती जनसंख्या का पेट भरने का एक ही रास्ता बचता है कि इन जैव तकनीकी लाभों को नकारा न जाए हमें लगता है कि यह तकनीक विश्व जनसंख्या के पोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है। हमें यह भी विश्वास है कि खाद्य पदार्थों को बढ़ाने का यह जीवंत रास्ता व्यापार के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी लाभकारी होगा।

हमें विश्वास है कि जब उपभोक्ताओं को तस्वीर का दूसरा रूख नहीं बल्कि पूरी सच्चाई का पता चलेगा तो वे हमारे विचारों का समर्थन करेंगे।

तस्वीर का दूसरा रूप

मोनसेन्टो लाख सफ़ाई दे, लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये जैव परिशोधित खाद्य पदार्थ व जैव परिशोधित बीज हमारी ज़मीन एवं कृषि व्यवस्था के लिए एक भारी ख़तरा है। यह ध्यान देने की बात है कि अमरीका जैसे परमाणु शक्ति संपन्न देशों का ग़रीबों और जन कल्याण का अचानक कैसे ख्याल आ गया। बात गरीबों का पेट भरने की है न कि अधिक पोषण की। जब दुनिया के अधिकतर मुल्कों के गरीब भरपेट भोजन से महरूम हैं तब मनमाने प्रयोगों द्वारा फसलों को कीटाणु रोधक या अधिक पौष्टिक बनाने जैसी बातें कहीं बेमानी लगती हैं।

सच तो यह है कि इस प्रकार के जैविक और रासायनिक प्रयोग भले ही भारी तदाद में फसल देतें हों लेकिन ये फसलें मानव स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि हमारी पर्यावरण, हमारी जैव विविधता और ज़मीन के अनजाऊपन के लिए भी एक ख़तरा है।

अमेरिका की सॉयल एसोसिएशन के निदेशक पैट्रिक हॉलडन का कहना है– 'इसमें कोई शक नहीं कि जैव संशोधित खाद्य पदार्थ मानव स्वास्थ्य के लिए ख़तरा साबित होंगे, क्योंकि इससे पित्त, एलर्जी और ऐसी ही दूसरी बीमारियां हो सकती हैं। इनका हमारी प्रतिरोधक क्षमता के पास भी कोई जवाब नहीं होगा। यानि हमारा शरीर इन बीमारियों का सामना कर पाने में अक्षम होगा।'

हम पूछते हैं– अगर अमरीका और उसकी तथाकथित जैव तकनीक कंपनियों को वाकई अकाल और तीसरी दुनिया के किसानों की इतनी ही चिंता थी तो उन्होंने इस तरह के टर्मिनेटर बीजों का निर्माण किया ही क्यों जो पूरी मानव जाति के स्वास्थ्य, जीवन के लिए ख़तरा साबित हो रहे हैं ?

मोनसेन्टो ने जैव परिशोधित सोयाबीन क्यों बनाया?

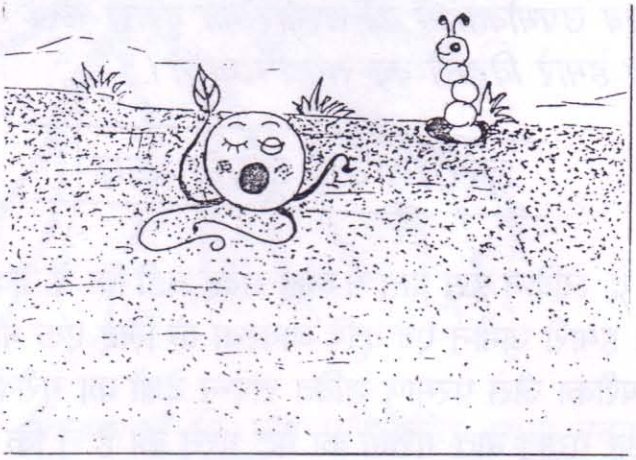

जैव परिशोधित सोयाबीन में तीन तरह के जीन्स डाले हैं– कार्नफ्लावर का एक वायरस, एक बैक्टिीरिया और एक पिटुनिया से पिटुनिया।

मोनसेन्टो ने दावा किया है किइस जैविक प्रयोग से सोयाबीन का स्वाद व पोषण क्षमता बढ़ी है, लेकिन यह सच नहीं है। बजाय इसके यह असामान्य जैविक मिलान (जो कि प्राकृतिक रूप से कभी संभव ही नहीं था) सोयाबीन को एक बीज नाशक बना देता है। इसे बनाने वाले अमेरिकी रसायन राक्षस मोनसेन्टो (जो वियतनाम युद्ध के दौरान ऑरेंज बम के एजेंट थे) का कहना है कि इसके उत्पादन का अर्थ है कि हर फसल में ज्यादा से ज्यादा सोयाबीन पाना, लेकिन वे अपने इस आश्वासन की कोई गारंटी नहीं देते। इससे पहले ही मोनसेन्टो 'ग्लाइफोसेट' नामक हरियाली नाशक बना चुके थे जिसका ब्रांड नाम 'राउंड अप' रखा गया है। यह फसल में बढ़त के दौरान ही छिड़का जा सकता है। आमतौर पर सोयाबीन इतनी नाजुक फसल होती है कि अगर एक बार वह अंकुरित हो जाए तो उसे स्प्रे नहीं किया जा सकता।

इसीलिए दो उत्पादों बीन और वीडकिलर को एक दूसरे से जोड़कर जैव परिशोधित सोयाबीन का निर्माण किया गया है। इस तरह मोनसेन्टो अब अपने दोनों उत्पादों को ज्यादा से ज्यादा बेच सकता है।

दस्तावेज–4 सितंबर,1998. रिसर्च फांउडेशन फॉर साईंस एंड टेक्नॉलॉजी। पेज 5

यूरोप में लेबल आंदोलन की सफलता

यूरोप में डेनमार्क, डच और स्विस सरकारों ने संशोधित खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने की नीतियां अपनाईं। डेनमार्क में खाद्य पदार्थों के लेबल पर 'जैव संशोधित सोया युक्त', हॉलेण्ड में 'आधुनिक जैव तकनीक से निर्मित सोया युक्त' जैसे स्पष्टीकरण को आवश्यक माना। जबकि डेनिश और डच सरकारों ने ऐसे खाद्य पदार्थों के उपयोग पर ही प्रतिबंध लगा दिया लेकिन ब्रिटेन की सरकार ने उपभोक्ता संगठनों की तमाम मांगों के बावजूद ऐसे खाद्य पदार्थों पर लेबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं समझी।

जर्मनी में बड़े पैमाने पर उपभोक्ताओं के दबाव के कारण बहुत सी कंपनियों ने अपने खाद्य पदार्थों में आर. आर. एस. सोया इस्तेमाल करने से इंकार कर दिया। इनमें नेस्ले, यूनिलिवर, डेनन जैसी बड़ी बड़ी कपनियां भी शामिल थीं। यूनिलिवर ने जर्मन उपभोक्ताओं के प्रति अपनी निष्ठा और दायित्व को समझते हुए राउंड रेडी सोया का बहिष्कार किया। जब्कि नेस्ले ने ज़रूरी होने पर अपने लेबल के साथ खाद्य पदार्थों पर 'इंजीनियर्ड' लिखा।

ब्रिटेन में आइसलैण्ड सुपरमार्केट ने रेड रेडी सोया को अपने खाद्य प्रयोगों से बाहर रखा। दूसरी तरफ़ 'ग्रीन पीस' और 'वुमेन एक्वायरमेंट नेटवर्क' द्वारा स्थापित स्नेसबरी नाम की सुपर मार्किट का कहना था कि रेड रेडी सोया के इस्तेमाल के अलावा कोई और रास्ता नहीं हैं। हां, लेबल पर यह अवश्य स्पष्ट किया जा सकता है कि ये 'आर. आर. एस. युक्त खाद्य पदार्थ' हैं। (थर्ल्ड वर्ल्ड रिश्योरेंस नं.–79)

सारांश यह कि यूरोप में रेड रेडी सोया युक्त खाद्य पदार्थों में बहस के विरोध में बहस ने एक खासा मोड़ लिया। वहां के देशों ने या तो इसका बहिष्कार किया। या फिर उपभोक्ताओं के सामने ऐसे खाद्य पदार्थों के उपयोग का विकल्प छोड़ा (लेबल लगाकर)। आस्ट्रेलिया, नार्वे, रोम जैसे देशों में आर. आर. एस. युक्त खाद्य पदार्थों का पूर्ण बहिष्कार किया गया। इस बहिष्कार का प्रतिनिधित्व पूरे यूरोप में 'ग्रीन पीस' नाम की संस्था कर रही है। आस्ट्रेलिया में सरकार द्वारा आर. आर. एस. के आयात पर रोक हटाने के सरकारी फैसले के खिलाफ़ अपना विरोध प्रदर्शित करते हुए तीन महिलाओं ने अपने वस्त्र उतार फेंके।

यूरोप में आर. आर. एस. युक्त खाद्य पदार्थों एवं जैव संशोधित सोयाबीन के आयात के खिलाफ़ व्यापक आंदोलन चल रहा है। यही कारण है कि आज मोनसेन्टो जैसी कंपनियों को तीसरी दुनिया में ऐसे सस्ते बाजारों की जरूरत महसूस हुई जिनमें वे आसानी से अपने माल को खपा सकें।

जैव संशोधित खाद्य पदार्थों के लिए नार्वे के निवासियों की 'ना'

यह बात गौरतलब है कि मोनसेन्टो के जैव परिशोधित सोया को अमरीका, नार्वे, जर्मनी सहित यूरोप के कई देशों ने नकार दिया है। मोनसेन्टो की जनकल्याण की सारी दलीलों के बावजूद या तो उसके उत्पादों का पूरी तरह बहिष्कार किया गया या फिर उस पर ऐसा लेबल लगाकर बेचने की इज़ाजत दी गई। खुद अमरीकी सरकार द्वारा उस पर रोक लगाने के बाद मानेसेन्टो ने अब यह फसल सस्ते दामों पर दक्षिण एशिया के मुल्कों में बेचने की योजना बना डाली है।

नार्वे के निवासियों के एक पैनल ने निर्णय लिया कि नार्वे को जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों की कोई ज़रूरत नहीं हैं। अगर जैव परिशोधित खाद्य पदार्थ बाजार में भेजे जाते हैं तो उन पर इस तरह का लेबल होना चाहिए जिससे पता चले कि वे जैव संशोधित खाद्य है। ये अंतिम 'कंसेंसस कांफ्रेंस' द्वारा लिए गए निर्णय थे।

इस पैनल ने यह महसूस किया कि तकनीकी खाद्य पदार्थों से कोई ख़ास फायदा उपभोक्ताओं को नहीं होता। जबकि अनदेखे नुकसान बहुत हैं। उन्होंने यह तर्क दिया कि पौधों की पोषण क्षमता बढ़ाने और उनकी खरपतवार प्रतिरोधक क्षमता की कमी को दूर करने के लिए और अधिक शोध किया जाए। इस पैनल ने मांग की कि अजैविक प्रतिरोधक जीन्स का इस्तेमाल जैव प्रत्यारोपित पौधों में न किया जाए। इस पैनल ने इस विचार का समर्थन किया कि जैव तकनीक से शोधित खाद्य पदार्थ विकासशील देशों में गरीब लोगों के लिए ज्यादा तादाद में खाद्य उत्पादन को बढ़ा सकेगा। यह भी ध्यान दिलाया गया कि अपने वर्तमान रूप में इस तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए।

रिसर्जेन्स अंक. 79

कीटनाशकों से जहरीली होती ज़मीन

विज्ञान रूपी शेर की पूंछ पकड़ कर एक दूसरे से आगे निकल जाने की होड़ लगाती हमारी मानव सभ्यता आज अपनी उंचाइयों के शिखर पर खड़ी है। आगे जाने का रास्ता नहीं और पीछे लौट कर जाया नहीं जा सकता। नतीजन अब अपने ही आसपास अपने ही जीवन के क्षेत्रों में विज्ञान के नए नए प्रयोग करते हुए जीवन को उत्तम से अत्युत्तम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन इन प्रयोगों से विकास की जगह विश्व व्यापारवाद और विनाशक स्थितियां ही पैदा हुई हैं। स्थिति तब और भयानक हो जाती है जब कृषि या खाद्य पदार्थों के क्षेत्र में मनमाने प्रयोग किए जाते हैं। खतरनाक कीटनाशक बनाने वाली तथाकथित रसायन कंपनियां कृषि क्षेत्र में प्रयोग करके नई नई फसलें ईजाद करती हैं और अपने इन परीक्षणों को गरीब मुल्कों में आजमाती है, जनहित नाम पर। फसलों में कीटनाशकों का बढ़ता प्रयोग मानव स्वास्थ्य के लिए एक चुनौती बन गया है। खासकर तीसरी दुनिया या गरीब मुल्कों में विश्व राजनीति के चलते करोड़ों लोग ऐसे मनमाने प्रयोगों के भागी बनने पर मजबूर होते हैं और हर साल भयंकर बीमारियों का शिकार होते हैं।

एक मोटे अनुमान के अनुसार–

1.अकेले भारत के पर्यावरण में 84 हजार टन कीटनाशक दवाएं भारत के पर्यावरण में हर साल घुल रही है।

2. दिल्ली और आगरा जैसे शहरों में पेय जल सप्लाई के मुख्य स्रोत यमुना नदी में डी.डी. टी और बी. एच. सी की मात्रा जानलेवा स्तर तक पाई जाती है। यहां उपलब्ध शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म की खाद्य सामग्री में भी कीटनाशकों की खासी मात्रा होती है। औसत भारतीय के भोजन में लगभग 0.27 मि. ग्रा. डी.डी.टी पाई जाती हैं।

एक मोटे अनुमान के अनुसार गेहूं में 1.6 से 17.4 भाग प्रति दस लाख, चावल में 0.8 से 16.4 भाग प्रति दस लाख, मूंगफली में 3.0 से 19.1 भाग प्रति दस लाख, आलू में 68.5 तक डी. डी. टी. की मात्रा मौजूद है।

इसी तरह टमाटर की फसल को सबसे ज्यादा नुकसान हेल्योशियस आर्मिजरा नामक कीड़े से होता है। इस कीड़े को मारने के लिए बाजार में रोगर हाल्ट, सुपर किलर, रेपलीन और चैलेंजर नामक दवाइयां मिलती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ. ओ. पी. लाल ने एक शोध रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि बेहिसाब दवा छिड़कने से पैदा हुए टमाटर को खाने से मस्तिष्क, पाचन अंगों, किडनी, छाती और स्नायु तंत्रों पर बुरा असर पड़ता है। इससे कैंसर होने की संभावना रहती है।

कीटनाशकों के प्रयोग जैव विविधता को जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई किसी भी कीमत पर संभव नहीं है। बगैर सोचे समझे प्रयोग की जा रही दवाओं के कारण ' पर्यावरण मित्र' कीट–कीड़ों की कई प्रजातियां जड़ मूल से नष्ट हो गई हैं।

यही नहीं कीटनाशकों के रूप में प्रयुक्त होने वाले इन रसायनों के अवशेष फसलों पर रह जाते हैं, जो एक सीमा पार करने के बाद उसे खाने वालों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालते हैं।

हमें सोचना होगा कि मोनसेन्टो जैसी कंपनी के हाथों में हमारी राष्ट्रीय संपत्ति इंडियन इंस्टीटयूट ऑफ़ साईंस की प्रयोगशाला का पहुंच जाना क्या हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा नहीं पैदा करेगा और इस तरह तो उसके लिए हमारे जैविक संसाधनों को लूटने का रास्ता और खुल गया है।

लेख–अँसर हुसैन जाफरी

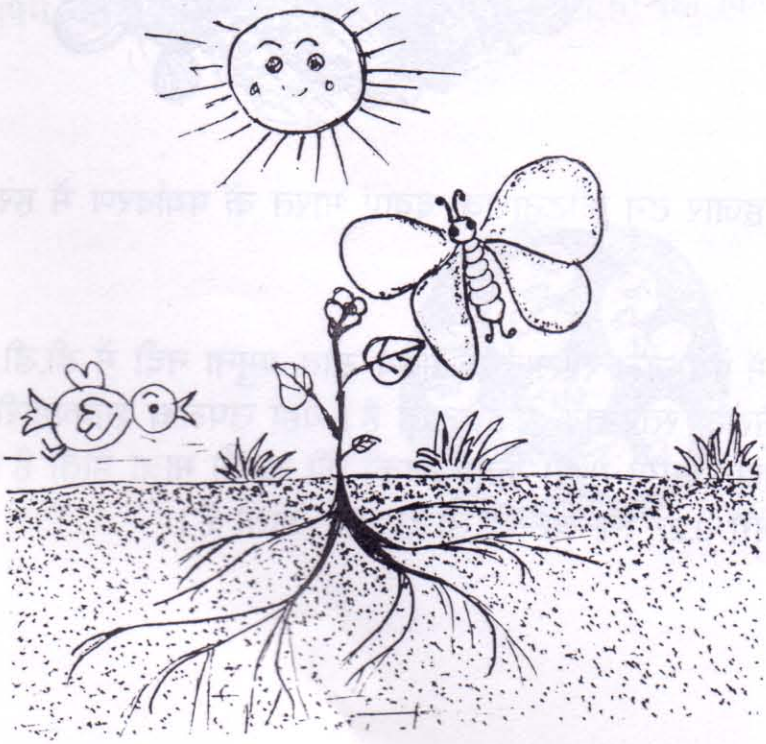

सोयाबीन का आयात

हमारे किसानों, घरेलु तिलहनों व बायोडायवर्सिटी को बर्बाद कर देगा।

तिलहन के तौर पर सोयाबीन का आयात भारतीय किसानों और आदिवासी समुदायों के जीवन को तहस नहस कर देगा, क्योंकि जैव परिशोधित हो या न हो सोयाबीन से निकाला गया तेल हमारी तिलहन मार्किट को बर्बाद कर देगा क्योंकि सस्ता मिलने के कारण लोग इसी का इस्तेमाल करेंगे। इसके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होने की जानकारी न होने के कारण वे इसे प्रयोग में लाएंगे। मुनाफ़ाखोरी की इस बाज़ार व्यवस्था में खाद्य निर्माण में इस तेल का इस्तेमाल एक भारी चुनौती साबित हो सकता है। इसी वजह से किसान अपनी तिलहन फसलें 'लागत कीमत' पर भी नहीं बेचेंगे। इस कारण इस बात की काफ़ी संभावना है कि किसान अलसी, सरसों, मूंगफली जैसी तिलहन फसलों को उगाना ही बंद कर देंगे। जब किसान तिलहन उगाना ही बंद कर देंगे तो हमारी कृषि व्यवस्था/बायोडायवर्सिटी बुरी तरह टूट जाएगी–बंजर हो जाएगी।

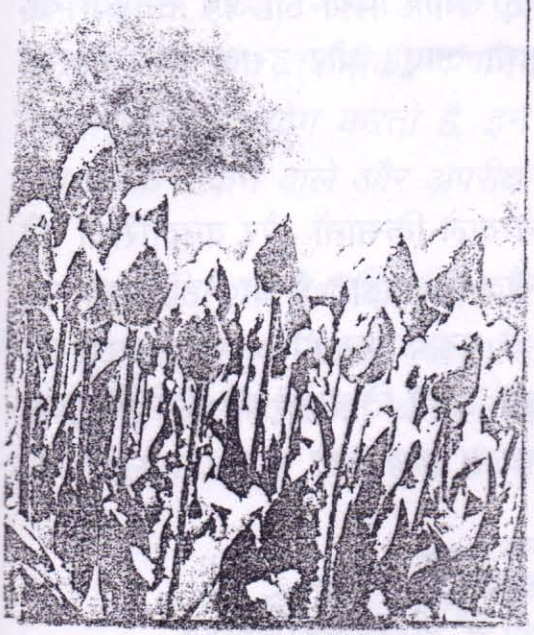

इस तरह जिन खेतों में पॉलीकल्चर सिस्टम के तौर पर घरेलू तिलहन उगाए जा रहे हैं। वे बरसात पर निर्भर रहने वाले और आदिवासी क्षेत्र हैं। वहां हमारी खेती की कमजोर प्रक्रिया बुरी तरह प्रभावित होगी। इस तरह बड़े पैमाने पर सोयाबीन तेल निकालने के कारण घानियों और तेल के कोल्हुओं पर निर्भर रहने वाली हजारों ज़िन्दगियां बर्बाद हो जाएंगी।

इण्डोनेशिया में खाद्य संकट बड़े पैमाने पर इस कारण हुआ कि सोयाबीन के आयात के कारण वे खाद्य तेल के लिए पूरी तरह से पंगु हो गए थे और जब इण्डोनेशिया की मुद्रा नष्ट हो गई तो वहां खाद्य तेल के दाम एकदम बढ़ गए। भारत भी ऐसी घृणित स्थिति का शिकार हो सकता है–अगर हम खाद्य तेल के लिए आयातित सोयाबीन पर निर्भर हो गए तो।

दस्तावेज–4 सितंबर,1998. रिसर्च फांउडेशन फॉर साईंस एंड टेक्नॉलॉजी। पेज–5–फैक्ट शीट

अमेरिकी सोया, भारतीय किसानों की जीविका पर आघात

अमेरिकी सरकार ने पोखरन में परमाणु परीक्षणों के कारण भारत पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, लेकिन कृषि उत्पादों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा। सोयाबीन अमरीका से होने वाला तथा उसके सबसे महत्वपूर्ण निर्यातों में से एक है जो भारत को किए जाते हैं। अमरीका की 50 लाख हेक्टेयर जमीन मे ये सोयाबीन बोया हुआ है, जबकि यूरोप की जनता ने इस जैव परिशोधित सायाबीन को पूरी तरह नकार दिया है। अब समस्या यह हुई कि इतनी व्यापक फसल को आखिर कहां खपाया जाए। और इसके लिए तीसरी दुनिया के गरीब देशों को निशाना बनाया गया।

सोयाबीन का आयात भारत में तिलहन की खेती करने वाले किसानों और वनवासियों की आजीविका को बर्बाद कर देगा। आयातित सोयाबीन जैव परिशोधित है या नहीं, प्रश्न यह नहीं रह जाएगा पर इसके कारण किसान नाम मात्र के मुनाफ़े पर भी अपनी फसलों को नहीं बेच पाएंगे। फलतः किसान अलसी, सरसों, मूंगफली, आदि तिलहनों की खेती बंद कर सकते हैं, क्योंकि इनका बाज़ार आयातित सोयाबीन ध्वस्त कर चुका होगा।

इस सबका यह नतीजा होगा कि विविधता पूर्ण तिलहनों की खेती, हमारी कृषि जैव विविधता पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी और देशज तिलहन कुछ ही वर्षों में लुप्त हो जाएंगे। जैव तकनीक से तैयार बीजों की खेती के कारण जमीन की उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाएगी और इस तरह एक भयंकर खाद्य संकट का जन्म हो सकता है। सोयाबीन के कारण हमारे लघु और कुटीर उद्योग बेकार होकर रह जाएंगे। उनकी उपलब्धता नष्ट हो जाएगी जबकि सोयाबीन को मात्र बड़े औद्योगिक संयंत्रों में ही प्रसंस्करित किया जा सकेगा।

इस जैव परिशोधित सोयाबीन में एक जीवाणु एक वायरस और पिटूनिया फूल के जीन से किए गए अज़ीबोगरीब घालमेल के कारण इसके स्वाद और पोषकता में कोई अंतर आया हो या न आया हो मगर इसने सोयाबीन को एक खरपतवार नाशक प्रतिरोधक अवश्य बना दिया हैं। यानि अब इस पर किसी खरपतवार नाशक का भी उतना कारगर असर नहीं होगा जितना होना चाहिए। राउंड अप रेडी सोयाबीन के रूप में मोनसेन्टो ने अपने व्यापार की पूरी व्यवस्था कर ली है।

अमरीका के ही डॉ. नेस्ले अपने 'एलर्जीस एंड ट्रांसजेनिक फूड्स' निबंध में लिखते हैं कि *'...अधिकांश जैव तकनीकी कंपनियां जीन दाता के नाते दलीय पौधों की जगह सूक्ष्म जीवाणुओं का प्रयोग करती है, इन नए सूक्ष्म जीवाणुओं में एलर्जी की क्षमता अज्ञात, न सोची जा सकने वाले और अपरीक्षणीय है।'*

हम भारतीय एक वैश्विक प्रयोग में 'गिनी–पिग' बनने से इंकार करते हैं। हम पश्चिम से ठुकरा दिए गए खाद्यों को भारतीय ग्राहकों पर लादने की अनुमति नहीं दे सकते। इसीलिए नवधान्य समेत अनेक महिला संगठनों और जन संगठनों ने सोयाबीन प्रकरण के खिलाफ़ अपनी जंग छेड़ दी है। *कृषि समाचार–जुलाई.98*

देशी सरसों लगाएंगे
विदेशी सोया भगाएंगे।

जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों से स्वास्थ्य को होने वाले नुकसान

जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों का खाद्य सुरक्षा के सवालों से गहरा संबंध है।

1988 में जैव परिशोधित 'ट्राइप्टोफ़न' नामक खाद्य संपूरक में टॉक्सिन होने के कारण 31 लोग मारे गए और 1500 से ज्यादा विकलांग हो गए।

14 मई 1996 नेडास्का यूनिवर्सिटी से जारी 'न्यू इंग्लैंड जर्नल' नामक रिपोर्ट में स्पष्ट किया गया था कि ब्राजील नट जीन्स से युक्त जैव परिशोधित सोयाबीन कई तरह की एलर्जी का कारण बनता है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि जैव परिशोधित खाद्य पदार्थ हमारे शरीर में एंटीबायोटिक जीन्स पैदा करते हैं। जिनसे लगातार उपयोग के कारण आम संक्रामक बीमारियों का इलाज करने में भी परेशानियां पैदा होती है। और संक्रमण आसानी से ठीक नहीं होते हैं।

जैविक रूप से प्रत्यापित सोयाबीन मोनसेन्टो की पहली फसल है जो खाद्य तत्व के रूप में बेची जा रही है। यह वास्तविक फसल नहीं है। एक बैक्टीरिया, वायरस और पैटुनिया के अजीब घालमेल से मानव शरीर में कई तरह की एलर्जी और लंबे समय तक पड़ने वाले स्वास्थ्य के भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। वैज्ञानिकों का प्रयास है कि ब्राजील नट जीन को इस सोयाबीन में जोड़ा जा सके ताकि मानव शरीर में एलर्जी के परिणाम से बचा जा सके।

इसी तरह जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों में वायरस और बैक्टीरिया जीन्स हमारे शरीर में बैक्टीरिया एवं वायरस के साथ मिलकर भयंकर रूप धारण कर सकते हैं। इसी तरह जानवरों और जीव जन्तुओं के जीन्स से युक्त जैव परिशोधित खाद्य पदार्थ हमारी पौराणिक और धार्मिक सिद्धान्तों को भी तोड़ते हैं, जैसे यहूदी और मुस्लिम समुदायों में कुछ विशिष्ट जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थों के सेवन से बचा जाता है। जबकि शाकाहारी तो किसी भी

जानवर से प्राप्त खाद्य पदार्थों को खाने से बचते हैं। पौधों में जानवरों के जीन्स मिलाना धार्मिक दृष्टि से साफ़ तौर पर मिलावट है और यह मिलावट स्वास्थ्य और पौराणिक दोनों ही दृष्टियों से रोकी जानी चाहिए।

खाद्य पदार्थों में मिलावट रोकने के लिए बनाए गए कानूनों की पुनर्व्याख्या और उन्हें ताकतवर बनाने की जरूरत है, क्योंकि प्रदूषण और जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों से इनका सीधा संबंध है।

सरसों के तेल के हादसे और तिलहनों के मुक्त आयात के बहाने जैव परिशोधित सोयाबीन की संभावित खपत को देखते हुए शुद्ध खाद्य पदार्थ आंदोलन की शुरूआत करने जा रहे हैं। इस शुद्ध खाद्य आंदोलन की शुरूआत हम अपने बायोडायवर्सिटी कन्ज़रवेशन मूवमेंट 'नवधान्या' पर करने जा रहे हैं।

हम तिलहन की देशज फसलों को अपनी पहचान और विधिवत के साथ सुरक्षित रखने और उनका प्रयास करने का काम जारी रखेंगे। यह शुद्ध खाद्य आंदोलन रसायन मुक्त, मिलावट हीन, शुद्ध खाद्य पदार्थों के उपभोग को बढ़ाएगा। शुद्ध खाद्य पदार्थ आंदोलन सुरक्षित भोजन के नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए भी काम करेगा और मिलावट के समान ही जैव परिशोधन तकनीक के नुकसानों के प्रति जागरूकता पैदा करेगा।

दस्तावेज–4 सितंबर,1998. रिसर्च फांउडेशन फ़ॉर साईंस एंड टेक्नॉलॉजी। पेज:5

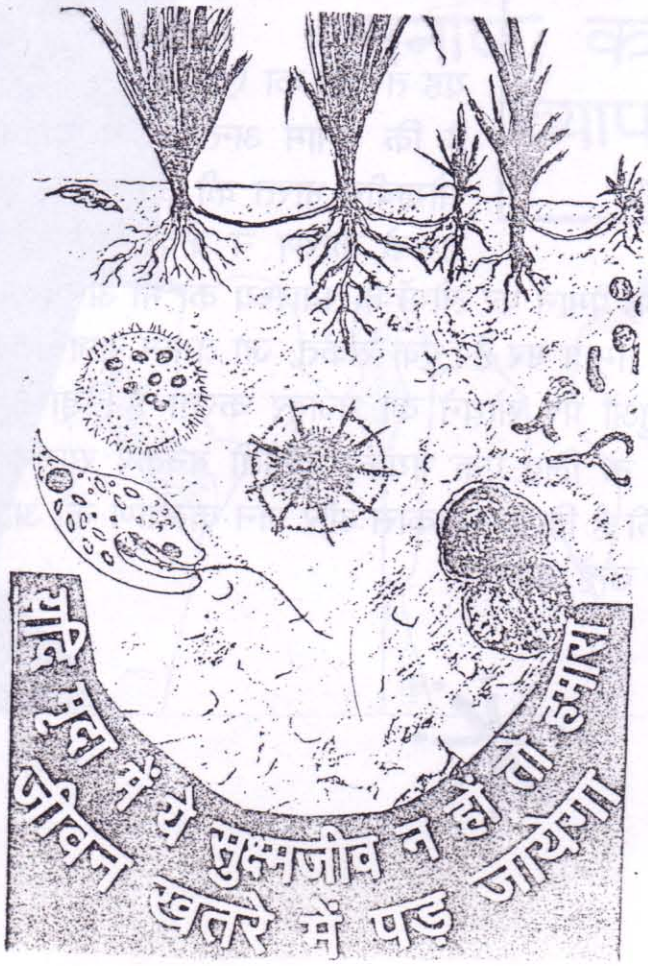

सोयाबीन की भारी खपत –

ड्राप्सी से भी भयंकर बीमारियों की कारण

सरकार ने भविष्य में भी सोयाबीन के मुक्त आयात की घोषणा की है। साफ़तौर पर जाहिर है कि यह सब मोनसेन्टो द्वारा अपने जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों के लिए एक दबाव के तहत किया जा रहा है।

अमरीकी सरकार ने परमाणु विस्फोटों के कारण भारत के खिलाफ़ जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए थे, उन्हें कृषि उत्पादनों पर से हटा लिया गया है। सोयाबीन अमरीका द्वारा किए जा रहे निर्यातों में प्रमुख है, क्योंकि 5 लाख हेक्टेयर से भी ज्यादा जमीन में मोनसेन्टो के जैव परिशोधित सोयाबीन की खेती की जा रही है। यूरोप के निवासियों ने पर्यावरण और स्वास्थ्य को होने वाली हानियों के कारण जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों को ठुकरा दिया गया, उसे अब हम पर लादा जा रहा है, अब भले ही सोयाबीन हमारी भोजन संस्कृति का अंग हो या न हो।

यह तस्वीर का एक रूख है। दूसरी सच्चाई यह है कि तमाम अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के रहते जो सोयाबीन भारत की जनता पर लादा जा रहा है उसके कारण न केवल हमारी भोजन संस्कृति प्रभावित हो रही है, बल्कि बड़े पैमाने पर लोगों के स्वास्थ्य को भी अनदेखा खतरा पैदा हो गया है। ड्राप्सी उसका एक नमूना भर है। एक संकेत, जो तमाम राजनैतिक, आर्थिक और कृषि नीतियों से जुड़े पहलुओं पर सोचने को मजबूर करता है। ड्राप्सी से भी भयंकर बीमारियां पूरी मनुष्य जाति के लिए एक भयंकर चुनौती बनकर सामने आ सकती है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम विकास और जन कल्याण की आढ़ में खेली जाने वाली चालों को समझें और उन्हें नकारें।

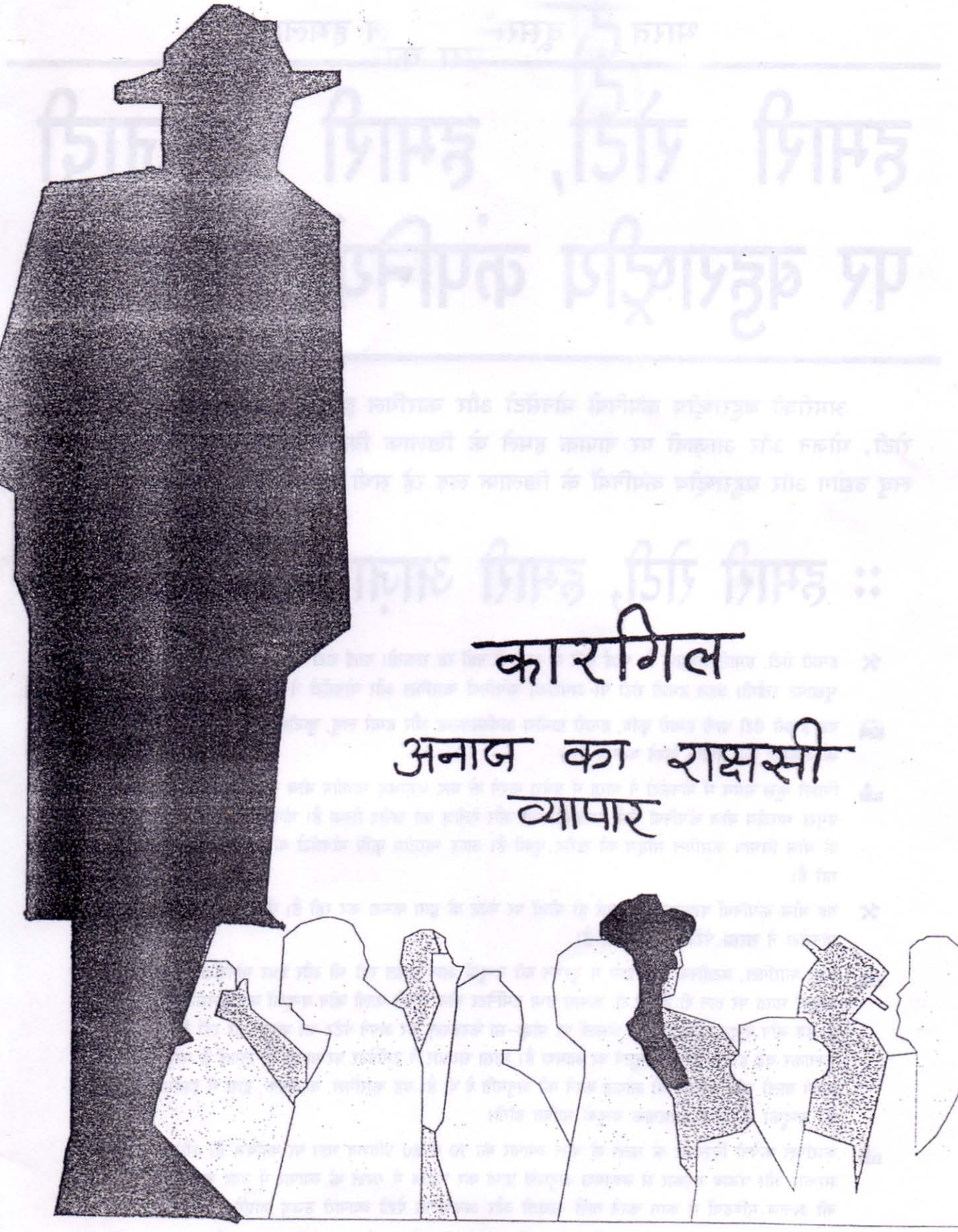
कारगिल
अनाज का राक्षसी
व्यापार

भारत पर दूसरा कारगिल हमला!!

हमारी रोटी, हमारी आज़ादी पर बहुराष्ट्रीय कंपनियों का डाका

अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनियों मोनसेंटो और कारगिल द्वारा हम भारतीयों के बीज, खेती, रोटी, भोजन और आज़ादी पर नापाक हमले के खिलाफ किसान, मजदूर, महिला, उपभोक्ता, लघु उद्योग और बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ लड़ रहे सभी संगठनों द्वारा शुरू किया गया –

:: हमारी रोटी, हमारी आज़ादी अभियान ::

- हमारी रोटी, हमारी आज़ादी है। पराई रोटी से आज़ादी नहीं रह सकती। पराई रोटी बेरोजगारी फैलाएगी और गरीबों को भूखापेट रखेगी। आज हमारी रोटी पर अमरीकी कंपनियों कारगिल और मोनसेंटो ने हमला बोल दिया है।
- यह हमारी रोटी यानी हमारी कृषि, हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और हमारे लघु, कुटीर और ग्रामोद्योगों से जुड़े रोजगार के अवसरों को समाप्त करने षड़यंत्र है।
- पिछले कुछ समय में मोनसेंटो ने भारत में प्रवेश करने के बाद धड़ाधड़ भारतीय बीज बाजार पर कब्जा करने के लिए प्रमुख भारतीय बीज कंपनियों जैसे, माहिको, पेरी और रेलीज़ को खरीद लिया है। मोनसेंटो पहले ही कारगिल कंपनी के बीज विभाग *कारगिल सीड्स* को खरीद चुकी है। आज भारतीय कृषि मोनसेंटो के बीजों के चंगुल में फंसने जा रही है।
- यह बीज कंपनियाँ षड़यंत्रपूर्वक हमारे ही बीजों पर पेटेंट के द्वारा कब्जा कर रही है। जैसे, राईसटेक ने बासमती और मोनसेंटो ने सरसों पेटेंट करवा लिया है।
- उधर कारगिल, बटालिक और द्रास में दुश्मन की बन्दूकें आग उगल रही थी और इधर मोनसेंटो ने भी अपनी *जीन* बन्दूकें भारत पर तान दी हैं। बी.टी. कपास तथा टर्मीनेटर बीज बनाने वाली जीन बन्दूकों का मोनसेंटो आयात कर रही है। इन *जीन* बन्दूकों से हमारी ही फसलों पर थोड़ा-सा फेरबदल कर अपने पेटेंट का कब्जा कर रही हैं। जिनकी दहशत फैलाकर वह हमारी रोटी को लूटने पर आमदा है। भारत सरकार ने टर्मीनेटर पर पाबंदी तो लगाई है परंतु टर्मीनेटर बीज बनाने वाली *जीन बन्दकों* को आयात करने की अनुमति दे दी है। यह कारगिल, बटालिक, द्रास में इस्तेमाल हुए दुश्मन की बन्दूकों से ज्यादा खतरनाक बन्दूकें साबित होंगी।
- कारगिल कंपनी विश्वभर के गल्ले के कुल व्यापार का 70 से 80 प्रतिशत भाग पर काबिज है। और अब यह भारत सरकार और पंजाब सरकार से बकायदा अनुमति प्राप्त कर पंजाब में गल्ले के व्यापार में उतर चुकी है। इससे पंजाब की अनाज मण्डियों में काम करने वाले आढ़ती और अनाज के देशी व्यापारी उजड़ जाएंगे।
- यह कृषि व्यापार पर कारगिल कंपनी का एकाधिकार स्थापित करता है। यह कृषि व्यापार और अनाज का नियंत्रण नहीं बल्कि किसान की आज़ादी पर कब्जा है। इसका परिणाम निकलेगा कुछ किसान बंधुआँ मजदूर बना दिए जाएंगे और बाकी को उजड़ दिया जाएगा। जिस तरह यूरोप और अमरीका में छोटे किसानों को बिलकुल खत्म कर दिया है।

भारत पर दूसरा कारगिल हमला!!

- पंजाब में कारगिल कंपनी जिस तरह से अनाज के सारे व्यापार को नियंत्रित करने की साज़िश रच रही है वह व्यापार ही नहीं बल्कि आटे बनाने उद्योग पर भी कब्जा करने का मंसूबा बनाए हुए है। यह पंजाब के किसानों को बंधुआ मजदूर बनाने की शुरूआत है। यूरोप और अमरीका में इसी वजह से छोटे किसान खत्म हो गए हैं।
- इन कंपनियों की तैयारी है कि जल्दी ही इस प्रकार की *'कैप्टीव फार्मिंग'* सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत से शुरू की जाएं जिसमें कि किसान क्या बोएगा इसका फैसला किसान नहीं बल्कि कंपनी करेंगी।
- अनाज के व्यापार और कृषि अर्थव्यवस्था पर विदेशी कंपनियों के कब्जे का मतलब है हमारे आटे पर विदेशियों का कब्जा, हमारी रोटी को हमसे छीनना।
- बीज, आटा और अनाज के व्यापार में इन बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आने से आटा मिलों पर इनका कब्जा हो गया है। पंजाब में आधी आटा मिलें बंद हो गई है। यह सब भारतभर के गाँव, कस्बों और शहरों में चल रही छोटी-छोटी आटा मिलों और चक्कीयों के लिए मौत की सज़ा है। यह हमारे स्वरोजगार का विनाश है।
- जिस तरह पहले खाद्य तेलों की खुली बिक्री बंद करके पैकिंग आदेश को जबरी लागू किया और अब भारतीय देशी तेल उद्योग को नष्ट किया जा रहा है। उसी तरह निकट भविष्य में छोटी बेकरियाँ भी बंद कर दी जाएगी।
- हमारे देशी तिलहन उद्योग के द्वारा हमें शुद्ध, ताजा, सस्ता और स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सरसों या अन्य खाद्य तेल मिल जाते थे जोकि अब प्लास्टिक की पैकिंग करने पर विवश हो गए है। यह पैकिंग आदेश प्लास्टिक को बढ़ावा देकर प्रदूषण फैलाएगा। बहुराष्ट्रीय कंपनियों की साज़िश है कि जल्दी ही यह पैकिंग आदेश डबल रोटी, आटे सभी पर लागू हो जाएं।
- अब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ तरह-तरह के हथकण्डों और छल-कपट से हमारे बीज, हमारे अनाज, फसल, रोटी की स्वतंत्रता छीन रही है। यह षड़यंत्र हमारे फसल उगाने, खाना खाने, उसे खरीदने की आज़ादी पर हमला है ही। यह हमारे भोजन के चुनाव की आज़ादी उसके स्वाद और उसकी विविधता को हमसे छीनने की विदेशी साज़िश भी है। भोजन व्यवसाय में उतरी ये कंपनियाँ हमारे पौष्टिक स्वच्छ, ताजे, स्वादु और विविधतापूर्ण भोजन की जगह डिब्बाबंद, सड़े-बासी, ज़हरीले और एक ही तरह के स्वाद, गंध और पदार्थों वाले भोजन को हमारे पर लाद रही है।
- असल में खुले बाजार के नाम पर आई ये विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ चोरी-छिपे हेराफेरी से अपना व्यापारिक साम्राज्य स्थापित करने में लगी हुई हैं और हमारी रोटी छीनकर हमें अपना मुहताज बनने की कोशिश में है।
- भाईयों और बहिनों! रोटी की आज़ादी गई तो समझें कि देश की आज़ादी भी नष्ट हो गई।

आइए! विदेशी कंपनी के इन नापाक षड़यंत्रों को मुँहतोड़ जवाब देने के लिए भारत की आज़ादी की रक्षा और अपनी रोटी पर अपने अधिकार की सुरक्षा के लिए एक प्रबल जनसंघर्ष शुरू करते हुए अपनी रोटी – अपनी आज़ादी अभियान शुरू करें।

बहुराष्ट्रीय कंपनियों का यह हमला हमारे स्वभाविक जीवनाधिकारों और हमारे मानवाधिकारों पर घातक हमला है।

इस जनसघर्ष में हम सभी मजदूर किसान, महिला, विद्यार्थी, पर्यावरण संरक्षक, लघु उद्यमी एक होकर लड़ाई लड़े। हमारी एकता ही देश की आज़ादी की सुरक्षा की गारण्टी है।

॥ जय हिन्द ॥

हमारी रोटी के डकैतो ख़बरदार! भारत छोड़ने को हो जाओ तैयार

निवेदक :

नवधान्य

आज़ादी के बीज

ए-60, हौजखास, नई दिल्ली - 110 016 • दूरभाष : 6968077

–:: जाग किसान जाग ::–

तेरी खेती को नष्ट करने, गांव उजाड़ने आ गया है

☠ मौत का व्यापारी ☠

मोनसेंटो

मोनसेंटो! भारत छोड़ो

अमरीकी बहुराष्ट्रीय कंपनी मोनसेंटो दुनियां की सब से बड़ी कृषि रसायन कंपनी है। पिछले दो सालों के अंदर 'मोनसेंटो' ने दुनियां की तमाम बड़ी बीज और कृषि व्यापार की कंपनियों को खरीद लिया है। इस समय कृषि से संबंधित सबसे ज्यादा पेटेंट 'मोनसेंटो' के कब्जें में है। मूलत: मोनसेंटो रसायनों का कारोबार करने वाली कपंनी थी। जिसने बाद में कृषि रसायन कंपनी के नाते और अब बीज कंपनी के नाते अपने-आपको स्थापित करने की कोशिश की है। इस समय प्रकृति और कृषि परंपरा को मोनसेंटो से भयंकर खतरा है। मोनसेंटो की नई-नई तकनीकें प्रकृति और कृषि को खत्म करने में सक्षम हैं। जैसे – टर्मीनेटर बीज, बी.टी. कपास आदि बीज। मोनसेंटो के राऊण्डअप जैसे खतरनाक रसायन और राऊण्डअप रेडी बीजों की श्रृंखला।

मौत का व्यापार : मोनसेंटो ने अमरीकी वियतनाम युद्ध के दौरान 1965 में अमरीकी वायुसेना को वियतनामी सेना के खिलाफ इस्तेमाल के लिए एक रसायन एजेंट ऑरेंज (ग्लाएसोफेट) दिया था। इस खतरनाक रसायन का असर आजतक वियतनाम के जंगलों और उस समय उसकी चपेट में आ गए वियतनामी नागरिकों एवं सैनिकों पर ही नहीं उनकी संतानों पर भी दिखता है। यही एजेंट ऑरेंज आज मोनसेंटो का सबसे प्रसिद्ध ब्राण्ड 'राऊण्डअप' के नाम से प्रचारित किया जा रहा है। यह राऊण्डअप हर तरह की खरपतवार को नष्ट करता है इसलिए इसका खेतों के साथ-साथ शहरों में भी कांग्रेस घास खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाए ऐसा मोनसेंटो का जबर्दस्त प्रचार है। जबकि असलियत है जिन-जिन किसानों ने अपने खेतों में राऊण्डअप इस्तेमाल किया उनकी फसल तो नष्ट हुई ही, उनके खेतों के किनारे खड़े पेड़ तक झुलस गए यह रसायन मानव स्वास्थ्य के लिए भयंकर विनाशकारी है।

इसी रसायन के व्यापाक प्रचार के लिए मोनसेंटो ने *राऊण्डअप रेडी सीड* यानि राऊण्डअप रसायनयुक्त बीज तैयार किया है। यह बीज राऊण्डअप रसायन को सहने की क्षमता रखते हैं। मोनसेंटो का दावा है कि इन बीजों को खेतों में लगाने के बाद जब ये अंकुरित हों और खेत में खरपतवार भी हो तो बगैर कोई चिंता किए राऊण्डअप रसायन का छिड़काव कीजिए खरपतवार नष्ट हो जाएगा और राऊण्डअप रेडी बीज अंकुरित फसल खड़ी रहेंगी। सुनने और पढ़ने में यह अच्छा लगता है पर असलियत यह है कि यह ज़हर की ही खेती है। इन बीजों की फसलों में हमेशा ज़हर रहा करेगा।

बी.टी. कपास और बी.टी फसलों के अन्य बीज भी जैव तकनीक से इसी प्रकार तैयार किए गए हैं कि उनमें कीटनाशक ज़हर हमेशा रहें। पौधा अपने आप कीटनाशक पैदा करता रहेगा। मोनसेंटो का दावा है कि इससे कपास जैसी नाजुक फसल कीटों के हमले से सुरक्षित रहेंगी। परंतु यह बी.टी. कपास अनेक जगह फेल हो चुका है और इसको भी कीटनाशकों की आवश्यकता पड़ी है। यह कपास एवं बिनौला ज़हरयुक्त ही होगा। जिसे खाने वाला दुधारू पशु ज़हरयुक्त दूध देगा तथा पशु के स्वास्थ्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा। खेतों में इसकी झड़ी हुई पत्तियों से जमीन के सूक्ष्मजीवी अन्य लाभकारी जीव भी खत्म हो जाएंगे।

मोनसेंटो द्वारा तैयार टर्मीनेटर बीज तो सबसे खतरनाक और सारी मानवता के लिए संकट का बीज है। तकनीकी छेड़खानी से मोनसेंटो ने बीज की अगली फसल देने की क्षमता को नष्ट कर दिया है। इससे एक बार बीज खरीदने वाले किसान को अगले साल बीज खरीदना अनिवार्य हो जाएगा। यह मोनसेंटो की व्यापार की दृष्टि से तो ठीक हो सकता है पर प्रकृति माँ से यह छेड़खानी सारी मानवता को भूखा मरने के लिए मजबूर कर सकती है। बीजों को वंध्या बनने के यह गुण टर्मीनेटर बीज के पौधों से अन्य पौधों और फसलों में परागण द्वारा जा सकते हैं। अगर ऐसा हुआ तो कल्पना कीजिए इसका कितना विनाशकारी प्रभाव होगा।

बीजो से छेड़खानी करने और अपने रसायनों को किसानों पर लादने के बाद अब मोनसेंटो ने भारी मुनाफा कमाने के लिए पानी पर निगाह गढ़ा दी है। मोनसेंटो अब पानी के व्यापार में उतरने की तैयारी कर रही है। और इसके लिए वह पानी के स्रोत और अन्य जल संसाधनों पर कब्जा करने के लिए तरह-तरह के षड़यंत्र रच रही है।

भारत में भी मोनसेंटो ने जोरदार ढ़ग से प्रवेश करके अपने भारी पैसे की ताकत से सारे बाजार में राऊण्डअप को स्थापित किया है और दूसरी तरफ वह बी.टी. कपास के फंदे में भारतीय किसानों को फंसा रही है। यह भी महत्वपूर्ण है कि मोनसेंटो ने अनेक भारतीय बीज कंपनियों के शेयर बड़ी मात्रा में खरीद लिए है इस तरह मोनसेंटो भारतीय बीज व्यापार और कृषि की नियंत्रणकर्ता बनने की कोशिश कर रही है। यह भारत की आज़ादी, भारत के किसानों की स्वतंत्रता उनकी बीज बचाने की परंपरा भारतीय फसलों की विविधता खेतो के साथ-साथ जीने वाली प्रकृति और पानी जैसे जीवन के मूल आधार पर मोनसेंटो नामक राक्षस का हमला है।

आइए! इस हमले का मुँहतोड़ जवाब दें और मोनसेंटो को कहे कि भारतीय किसानों को आपकी सहायता की जरूरत नहीं, मोनसेंटो भारत से दफा हो जाओ। भारतीय किसान अपने पुरखों की परंपरा को खुद बचा लेगा। किसानों को किसी विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहायता की आवश्यकता नहीं। किसान भाईयों! भारत की संप्रभुता, किसान के स्वाभिमान और अपने देश की भावी पीढ़ियों की आज़ादी की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'मोनसेंटो भारत छोड़ो' की ललकार गाँव-गाँव तक पहुँचाएं और किसानों को मोनसेंटो और कारगिल कंपनियों के सभी उत्पादों का बहिष्कार करने की प्रेरणा लें।

:: दुष्ट मोनसेंटो सावधान : जाग उठा है वीर किसान ::

निवेदक :

नवधान्य

आज़ादी के बीज

ए-60, हौजखास, नई दिल्ली - 110 016 ० दूरभाष : 6968077

भारत के पेटेंट कानून

भारत के पेटेंट कानून के मुताबिक उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया का पेटेंट होता है, उत्पाद का नहीं। इसका लाभ यह है कि एक कंपनी प्रोडक्ट की प्रक्रिया पर अपना अधिकार रखती है। यानि कोई अन्य कंपनी वही प्रोडक्ट अलग कंटेंट्स और प्रक्रिया में परिवर्तन के साथ निकाल सकती है। इस वजह से बाज़ार में प्रोडक्ट प्रतियोगिता बढ़ती है ओर उपभोक्ताओं के पास ज़्यादा चयन के अवसर होते हैं। उत्पाद ज़्यादा होने से उसकी कीमत भी नियंत्रित रहती है।

विश्व व्यापार संगठन नीतियों के तहत विश्व बाज़ार में जिस पेटेंट की बात हो रही है वह प्रोडक्ट पेटेंट है। यानि सरकार यदि अपने देश में किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी को देश में व्यवसाय की अनुमति देती है तो वह हमारे ही संसाधनों से बनी वस्तुओं पर अपना पेटेंट ले लेंगी जिन जिन पर उनका एकाधिकार होगा। भारतीय कंपनियां बड़े पैमाने पर बने उनके माल का मुकाबला नहीं कर पाएंगीं व हमारी जनता उसे खरीदने के लिए बाध्य होगी। जैसा कि सोलहवीं शताब्दी में ईस्ट इण्डिया कंपनी कंपनी के आगमन के साथ हुआ था, फिर से वही आर्थिक उपनिवेशवाद की परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है यदि हम इस विषय में ज़ल्द ही कोई ठोस निर्णय नहीं लेते तो। अभी हाल ही में यही स्थिति इण्डोनेशिया में हुई।

इस तरह हमारा संघर्ष सदियों पुरानी जैव विविधता की रक्षा की मांग है जिसमें अधिकतर चीज़ें प्राचीन ग्रंथों दर्ज न होते हुए भी मौखिक परंपरा (गुरू शिष्य परंपरा) से प्राप्त हैं। इनका किन्हीं ग्रन्थों में नामकरण न होने के बावजूद ये हमारी अपनी हैं। इन पर हम किसी को भी हक नहीं जमाने देंगे।

बीज सत्याग्रह में सहयोग के नवसूत्र

नवधान्य के नवसूत्र अपनाकर आज़ादी की नई लड़ाई में शामिल हों।

१.अपने देशज बीज अपनाएं

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीजों का इस्तेमाल न करें।
ये देशी बीज हमारी मिट्टी और उसकी जलवायु में ढले हुए हैं। इनमें कीटों से लड़ने की क्षमता कहीं अधिक है। इनके लिए खाद की ज़रूरत भी कम पड़ती है। देशी बीज हमारी आज़ादी हमारे स्वाभिमान के बीज हैं। हमारी संस्कृति के प्रतीक है। इनकी रक्षा हमारी आज़ादी और संस्कृति की रक्षा है। आइए बीज रक्षक बनकर अपने बीजों को बचाने के लिए लेन देन की परंपरा को फिर से शुरू करें और अपने किसान भाईचारे को मजबूत करें।

२. अपनी जैव संपदा बचाएं

प्रत्येक गांव, कस्बा व शहर अपनी अपनी जैव संपदा को बचाए। हमारी जैव संपदा पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां निगाह जमाए बैठी हैं।
अपने आसपास अपनी जैव संपदा पर अपना सामुदायिक हक घोषित करें कि हम अपनी जैव संपदा पर पेटेंट का अधिकार किसी को नहीं देंगे और न ही किसी पेटेंट अधिकार को मान्यता देंगे।

३. अपने देशज पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर लगाएं

अपने देशज पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर लगाएं और उनका प्रचार करें। हमारे देशज पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण को साफ़ व स्वस्थ रखेंगे।
वृक्षारोपण को अपना स्थाई कार्यक्रम बनाएं। हमारे पेड़ पौधे, हमारी दिनचर्या, हमारी संस्कृति, हमारी आस्थाओं और हमारी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं।

महिलाओं को आह्वान

आइए! आप भी भारत की भोजन संस्कृति, उसकी

खेती, गांवों, कस्बों की तेल घानियों की अर्थव्यवस्था,

ग्रामोद्योग, हमारे घरों में आचार, बच्चों की मालिश

और भोजन में अपनी परंपरा की रक्षा के लिए

सरसों रक्षा महिला अभियान

में शामिल हों।

निवेदक :

महिलाओं द्वारा हमारी भोजन संस्कृति के लिए आंदोलन की घोषणा

ए-60 हौजखास, नई दिल्ली-110016

दूरभाष : 6968077

बीज सत्याग्रह में सहयोग के नवसूत्र

नवधान्य के नवसूत्र अपनाकर आज़ादी की नई लड़ाई में शामिल हों।

१.अपने देशज बीज अपनाएं

बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीजों का इस्तेमाल न करें।
ये देशी बीज हमारी मिट्टी और उसकी जलवायु में ढले हुए हैं। इनमें कीटों से लड़ने की क्षमता कहीं अधिक है। इनके लिए खाद की ज़रूरत भी कम पड़ती है। देशी बीज हमारी आज़ादी हमारे स्वाभिमान के बीज हैं। हमारी संस्कृति के प्रतीक है। इनकी रक्षा हमारी आज़ादी और संस्कृति की रक्षा है। आइए बीज रक्षक बनकर अपने बीजों को बचाने के लिए लेन देन की परंपरा को फिर से शुरू करें और अपने किसान भाईचारे को मजबूत करें।

२. अपनी जैव संपदा बचाएं

प्रत्येक गांव, कस्बा व शहर अपनी अपनी जैव संपदा को बचाए। हमारी जैव संपदा पर बहुराष्ट्रीय कंपनियां निगाह जमाए बैठी हैं।
अपने आसपास अपनी जैव संपदा पर अपना सामुदायिक हक घोषित करें कि हम अपनी जैव संपदा पर पेटेंट का अधिकार किसी को नहीं देंगे और न ही किसी पेटेंट अधिकार को मान्यता देंगे।

३. अपने देशज पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर लगाएं

अपने देशज पेड़ पौधे बड़े पैमाने पर लगाएं और उनका प्रचार करें। हमारे देशज पेड़ पौधे ही हमारे पर्यावरण को साफ़ व स्वस्थ रखेंगे।
वृक्षारोपण को अपना स्थाई कार्यक्रम बनाएं। हमारे पेड़ पौधे, हमारी दिनचर्या, हमारी संस्कृति, हमारी आस्थाओं और हमारी चिकित्सा पद्धति से जुड़े हैं।

४. देशी पशु नस्लें बचाएं

हर प्रदेश और क्षेत्र की अपनी पशु नस्लें होती हैं। हमारा पशुधन पिछले कुछ सालों में खत्म हुआ है। अपने पशु धन की रक्षा का बीड़ा उठाएं। पशुवध के लिए लगाए जाने वाले 'अल कबीर' जैसे बड़े बड़े कारखानों का विरोध करें।
अपने क्षेत्र के गोवंश की नस्लें पालें, उनकी तादाद बढ़ाने के लिए देशी नस्लों के गाय व सांड को बढ़ाना ज़रूरी है।
ध्यान रहे कि गाय ही हमारी आस्था का आधार है और इलाज की जरूरतों के अनुकूल है।

५. खाद व रसायनों के लिए कंपनियों से मुक्ति लें

खाद व रसायनों के लिए कंपनियों से मुक्ति ही हमारी कृषि को स्वावलंबी बना सकती है। इसलिए इस क्षेत्र में अपने पारंपरिक प्रयोगों को ही महत्व देना चाहिए। पारंपरिक प्रयोग सस्ते भी होते हैं और तमाम रासायनिक व जैविक दुष्प्रभावों से मुक्त भी।

६. विशेष विपणन' एकाधिकार वाली वस्तुओं का बहिष्कार करें

विश्व व्यापार संगठन की शर्तों के तहत जिन उत्पादों पर विशेष विपणन एकाधिकार दिए गए हैं उन तमाम वस्तुओं का पूरी तरह बहिष्कार करें।

७. अपनी भोजन परंपरा अपनाएं

हमारे पारंपरिक भोजन व अनाज हमारी सेहत व जलवायु के अनुकूल हैं। आज आधुनिक युग के प्रभाव से हमारे कई परंपरागत पकवान व पदार्थ बनने बंद हो गए हैं और उन्हें पकाने के जानकार भी कम होते जा रहे हैं। यह हमारी भोजन परंपरा के लिए एक खतरा है। अपनी भोजन परंपरा को बढ़ावा दें और उसे शान से अपनाएं।

८. कृषि आधारित लघु उद्योगों को बढ़ावा दें

गांव की खुशहाली में कृषि आधारित लघु व कुटीर उद्योग की बड़ी भूमिका हो सकती है। यह छोटे उद्योग हमारे गांवों के किसान, जुलाहे, लोहार, तेली, मोची, अन्य कारीगरों पर आधारित है। इनकी बनाई वस्तुओं के इस्तेमाल को बढ़ावा दें। ध्यान रहे कि सरसों के तेल में मिलावट गांव या कस्बे का तेली नहीं कर सकता वह तो आपको रोज रोज मिलता है। वह तो आपका पड़ोसी है, उससे खरीदी चीज के लिए वह सीधा ज़िम्मेदार है। ऐसे में वह मिलावट नहीं करेगा। कच्चे धानी के तेल का प्रयोग करते तो ड्रापसी का शिकार नहीं होते।

९. स्थानीय जड़ी बूटियां अपनाएं-अपनी चिकित्सा पद्धति अपनाएंगे तो आप अपने इलाके में पाई जाने वाली जड़ी-बूटियां एवं भारत की स्वास्थ्य परंपरा की रक्षा कर पाएंगे।

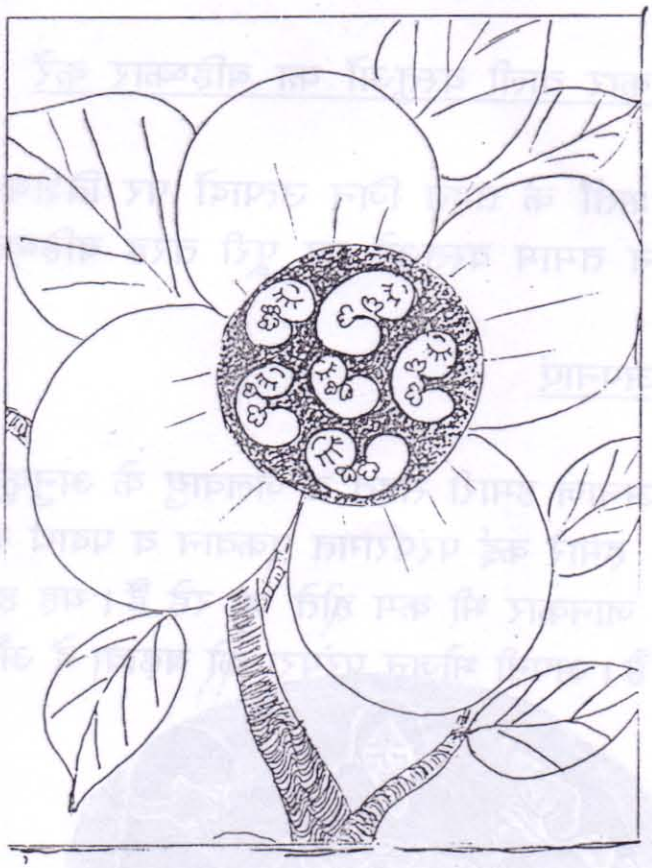

वात विदेशी घात विदेशी खून पिये आज़ादी का।
आँख खोलकर देख जरा यह चक्रव्यूह वर्वादी का।।

स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन

के दूसरे संग्राम का एक नया अध्याय

सोया सत्याग्रह

- भारतीय तिलहन को खत्म करके विदेशी सोयावीन को भारतीयों पर लादने के विरोध में
- भारतीय कृषि संस्कृति की सुरक्षा के लिए
- लाखों गांवों में करोड़ों ग्रामीणों की भोजन परंपरा के संरक्षण के लिए
- देशज तिलहनों पर आधारित स्वदेशी ग्रामोद्योग और अर्थव्यवस्था की रक्षा के लिए

सावधान

भारत के करोड़ों घरों में प्रयोग होने वाले सरसों के तेल में मिलावट, उस पर प्रतिबंध तिलहन की देशज किस्मों को नष्ट करने, हमारी भोजन शैली को बदलने और हमें खाद्य तेल के मामले में विदेशों पर निर्भर बनाने का षड्यंत्र है।

सरसों सत्याग्रह

दिल्ली में सरसों के तेल में मिलावट के कारण ड्रॉप्सी का भयानक कांड हुआ। इस कांड के चलते सरकार ने सरसों के तेल की गैरकानूनी और खुली बिक्री को बंद करने के आदेश जारी कर दिए, लेकिन इस पैकेजिंग से खाद्य सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं मिलती, क्योंकि इससे तेलों में जहरीलेपन और रासायनिकीकरण (केमिकल मिलावट) की स्थिति पैदा होगी। सरकार भले ही इस बात को समझे और माने या न माने कि सरसों के तेल में भारी मिलावट का यह मामला खाली मिलावट का ही नहीं है बल्कि सरसों के तेल को बदनाम करके हमारी आत्मनिर्भर खाद्य तेल व्यवस्था और बाज़ार को नष्ट कर देने की साजिश है।

सरकार द्वारा अफ़रातफ़री में सरसों के स्टाक को सील करने, उसकी बिक्री पर रोक लगाने जैसे आदेशों से हमारी खाद्य सुरक्षा स्थानीय घानियों व औरतों के हाथों से निकल कर मुनाफ़ाखोरों के हाथों में आ जाती है न कि सरकारी अफ़सरों के हाथों में। ज़ब्तीकरण के आदेश इंस्पेक्टर राज को कायम करने की कोशिश है ताकि बहुराष्ट्रीय हमारे खाद्य सिस्टम पर एकाधिकार जमा सकें।

गांधीजी ने जिस तरह नमक कानून को मानने से इंकार किया था, उसी तरह हम औरतें हमारे खेतों की उपज और हमारी रसोई के पकवानों पर ऐसे पुलिस नियंत्रण के खिलाफ़ – 'सरसों सत्याग्रह' की घोषणा करती हैं। हम अपने बीजों के पेटेंट और ऐसे किसी कानून को मानने से इंकार करते हैं जो हमें ऐसा करने पर मजबूर करते हैं।

बीज सत्याग्रह

हम नई पेटेंट व्यवस्था को नकारने की घोषणा करते हैं। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए गए जहरीले कीटनाशकों के साथ साथ हमारी ही ज्ञान विज्ञान परम्परा और जैव संपदा सेचोरी करके तैयार किए उत्पादों के बहिष्कार की भी घोषणा करते हैं।

हम अपने देशज बीज, कृषि की देशज पद्धति को स्वीकारने की घोषणा करते हैं। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीजों और रसायनों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को अपनाएंगे। हम अपने देशी बीज व खाद तैयार करेंगे और सिर्फ़ उन्हीं का प्रयोग करेंगे। यही होगा हमारी आज़ादी का नया मोर्चा, यही होगा हमारा फैसला।

हम यह भी घोषणा करते हैं कि जो सरकार बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा बनाए काले कानून लागू करेगी हम उस सरकार के विरूद्ध असहयोग आंदोलन की शुरूआत करेंगे।

बीज यात्रा, नई आज़ादी की नई लड़ाई का समर प्रयाण

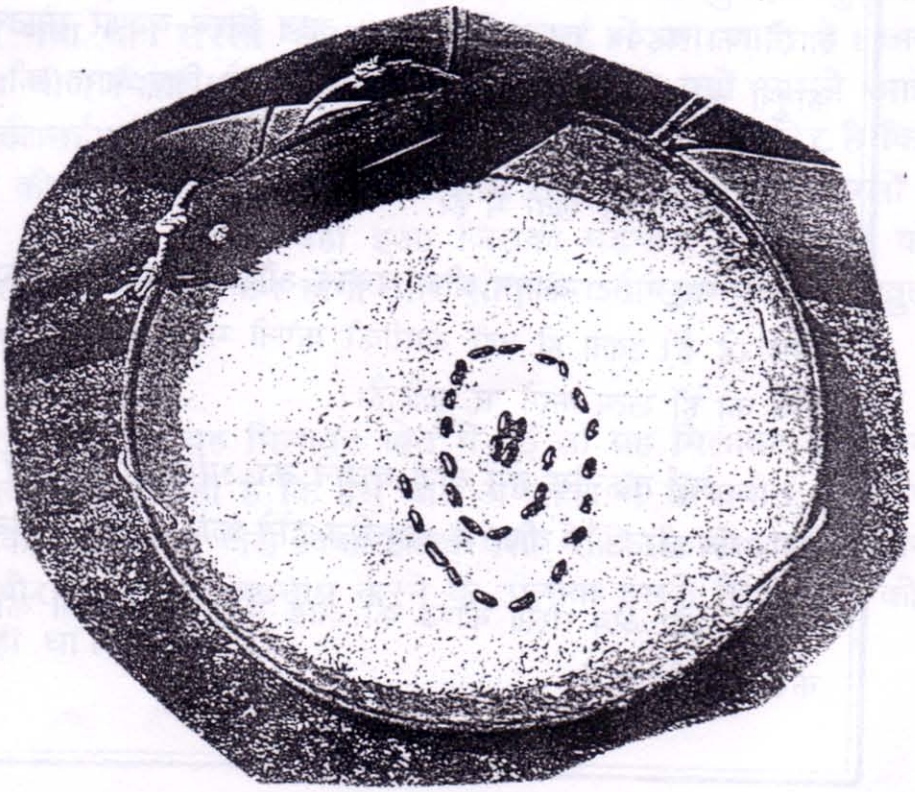

अपने बीज बचाएं-अपनी आज़ादी बचाएं

नया स्वदेशी आंदोलन

एक और नमक सत्याग्रह – सरसों सत्याग्रह

वह 1930 का नमक सत्याग्रह था . . . गांधी जी की दाण्डी यात्रा . . . नमक बनाने पर पाबंदी के ब्रिटिश कानून को तोड़ने का आंदोलन. . . दाण्डी यात्रा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का एक मील पत्थर था . . . देश में आज़ादी का ज्वार लाने वाली एक ऐतिहासिक घटना. . .

तब नमक क़ानून ने आम भारतीय से नमक बनाने का अधिकार छीना था – वह सिर्फ़ एक अधिकार का खत्म हो जाना नहीं था बल्कि वह हमारे समुद्र तटीय गांवों के स्वरोजगार-ग्रामोद्योग और स्वावलंबन का खात्मा था।

फिर करीब बीस वर्ष पहले कृषि को पेटेंट कानून द्वारा बंधक बनाने का प्रयास अमरीका और यूरोप से शुरू हुआ। दस साल पहले डंकल प्रस्तावों ने इन पेटेंट कानूनों को दुनिया भर की कृषि और किसानों पर लादने का षड़यंत्र रचना शुरू किया। आज विश्व व्यापार संगठन नए पेटेंट कानूनों को बीज और खेती पर लागू करने के लिए भारत की बाँह मरोड़ रहा है। हमारे किसान, उनकी खेती, उनके बीज उनका स्वावलम्बन सभी कुछ आज भयंकर खतरे में है।

नए पेटेंट कानून बीज बचाने और करीब बनाने का अधिकार छीन रहे हैं। इतना ही नहीं अमरीकी कंपनी मोनसेंटो टर्मिनेटर तकनीक से बीज को ही खत्म करने पर तुली है।

नई तकनीक हमें बीज बचाने का अधिकार ही नहीं हमसे जीने का अधिकार और बीज से अंकुरित होने का अधिकार छीन रही है।

और अब सरसों काण्ड की आड़ में हमारे तिलहनों की खेती खत्म करने की तैयारी है।

सरसों के खिलाफ़ साजिश

महरउद्दीन खां

दिल्ली में ड्राप्सी के चलते सरसों के तेल में मिलावट और इस पूरे व्यापार में घोटाले का पर्दाफ़ाश हुआ। सच तो यह है कि यदि यह कांड न होता तो सरसों और सोया की यह व्यापारिक राजनीति जाने कब तक अपना मीठा ज़हर लोगों के गले उतारती रहती।

युगों से जन सामान्य में लोकप्रिय सरसों का तेल अब लोगों के लिए एक ज़हर बन गया है। इस षड़यंत्र का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि बाज़ार में मिलावटी तेल भेजने के लिए जो समय चुना गया वह ऐसा है कि सरसों बोने के लिए किसान को हतोत्साहित करता है। सरसों के तेल पर पाबंदी के कारण तेल का पर्याप्त स्टाक गोदामों में बंद पड़ा है। इन हालातों में सरसों का उत्पादन उसके लिए कितना लाभकारी होगा यह वह नहीं समझ पा रहा है।

सरसों की ऊंची कीमत से किसान काफ़ी उत्साहित थे और उसकी भरपूर फसल बोने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन ऐन वक्त हुए इस हादसे और उसके बाद सरसों पर सरकारी फैसले के कारण सरसों के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। इस सबसे यही ज़ाहिर होता है कि मिलावट के समय का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया था। सरसों की फसल अप्रैल-मई में आ जाती है। अगर उसमें कंटेली का बीज मिला था तो यह बात अगस्त में ही क्यों सामने आई, जबकि अप्रैल में ही नई फसल का तेल बाज़ार में आने लगता है। ज़ाहिर है कि मिलावट अगस्त में की गई क्योंकि सितंबर का अंतिम सप्ताह व अक्तूबर सरसों की बुवाई का समय होता है। नतीजा वही हुआ जिसकी षड़यंत्र करने वालों को उम्मीद थी-('सरसों की पैदावार कम होगी और सोयाबीन व सूरजमुखी को खुला बाजार उपलब्ध हो जाएगा)।

दूसरी बात कि अगर यह मिलावट खेत में हुई तो यह मिलावट इस बार ही क्यों हुई ? इसका जवाब यही है कि इस बार अमरीका में सोयाबीन इतना फालतू हो गया था कि उसे भारत जैसे विकासशील देशों में किसी भी तरह खपाना ज़रूरी हो गया और सरसों को बदनाम करने के अलावा इसके लिए और कोई बढ़िया साधन नहीं था।

इस मिलावट के पीछे एक उद्देश्य सरसों के तेल से संबंधित गांवों व कस्बों के कुटीर उद्योग को भी तबाह करना है, जबकि इस कुटीर उद्योग का मिलावट से कुछ लेना देना नहीं है। मगर ये कुटीर उद्योग आज बंद पड़े हैं। सरसों के तेल में मिलावट के द्वारा एक ऐसे तेल को बदनाम करने की कोशिश की गई जिस पर लोग सालों से विश्वास करते आ रहे थे। मकसद साफ़ है कि सरसों के तेल से लोगों का भरोसा उठ जाए और विदेशी उत्पादों के लिए खुला बाज़ार मिल सके।

एक और तथ्य काबिले गौर है कि तेल के नमूनों की जांच में आर्जीमोन के अतिरिक्त पतला मोबिल आयल और पोली ब्रोमाइड की भी मिलावट पाई गई है। यह मिलावट शुद्ध मुनाफ़ाखोरी का मामला है क्योंकि ये दोनों ही वस्तुएं २० रूपए प्रति लीटर के आसपास मिल जाती हैं। पोली ब्रोमाइड तथा मोबिल आयल स्वास्थ्य के लिए हानिकारक तो हैं लेकिन स्वास्थ्य विशेषज्ञों के मुताबिक ड्राप्सी का कारण आर्जीमोन ही है। यहां एक सवाल और उठता है कि सरकारी बैन के चलते तेल के जो भारी स्टाक गोदामों में पड़े हैं उनका क्या होगा ? बहरहाल सवाल बहुत से हैं जिनका एक ही जवाब है कि हमें इन षड़यंत्रकारी ताकतों और भ्रष्ट सरकारी नीतियों की सच्चाई को समझना चाहिए। यह सार्वभौमिक सच है कि :-

ज़मीन किसान से धोखा नहीं करती
और किसान ज़मीन से बेईमानी नहीं।

संपादित लेख-पनसत्ता २६.६.६८

यह है ज़हर का असर
जो 35 साल पहले छिड़का गया था

1965 में अमरीका-वियतनाम युद्ध के दौरान जंगलों में छिपे वियतनामी सैनिकों को ढूंढ कर अपना निशाना बनाने की गर्ज़ से अमरीकी वायुसेना ने ऐजण्ट ओरेंज नाम रसायन का छिड़काव किया। यह रसायन एक व्यापक असर वाला खरपतवारनाशक था जो हर तरह की हरियाली को नष्ट कर देता था। अमरीकी वायुसेना ने लगभग 1 करोड़ 10 लाख गैलन ऐजण्ट ओरेंज छिड़का था। जिसके प्रभाव से वियतनाम के लाखों हैक्टर जंगल उसकी जैव विविधता और जीव-जंतु तबाह हो गए। जिन वियतनामी सैनिकों या नागरिकों पर इसका असर पड़ा हाल में पैदा होने वाली उनकी दूसरी पीढ़ी तक विकलांग पैदा हुई है। रसायन की निर्माता बहुराष्ट्रीय रसायन कंपनी मोनसेंटो थी और आज यही रसायन राउंडअप नाम से खरपतवारनाशक कह कर भारतीय किसानों को बेचा जा रहा है। **क्या आप चाहेंगे कि आपकी भावी पीढ़ी ऐसी ही विकलांग हो? तो कृषि रसायनों का उनकी निर्माता कंपनियों का पूर्ण बहिष्कार करें।**

खाद्य अधिकारों पर महिलाओं की आवाज़

एक राष्ट्रीय मोर्चा

खाना हर इंसान की पहली ज़रूरत है। भोजन की सुरक्षा, किसी भी समाज का पहला अधिकार है। दुनिया में जबसे खेती शुरू हुई, तब से लेकर आज तक बच्चों, परिवारों, समुदायों और अपने लिए अनाज उपजाने से लेकर पकाने व तैयार करने तक का सारा इन्तज़ाम महिलाओं के हाथों में रहा है। आज भी दुनिया में खेती के काम में महिलाओं की भूमिका 70 प्रतिशत तक है। खेती में बोआई, गुड़ाई, खेती की उपज, खाद और बीजों का चुनाव व रख रखाव, अनाज की कुटाई पिसाई, भोज्य प्रदार्थ तैयार करना, घर में खाद्य व्यवस्था इत्यादि बहुत से काम औरतें ही करती हैं। परंतु आज औरतों के ये हक़ छिन रहे हैं। इस सबके लिए ज़िम्मेदार हैं विश्व बैंक और विश्व व्यापार संगठन के दवाब में बनने वाली सरकारी नीतियां।

आज खुले बाज़ार का ज़माना है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां खेतों का माल सस्ते दामों में खरीद कर तैयार खाद्य पदार्थ ऊंचे दामों पर बेच रहे हैं। सरकार और बैंक छोटे व घरेलू उद्योगों की मदद से हाथ खींच रहे हैं पर बड़ी कंपनियों को तमाम सुविधाएं व सहूलियतें दे रहे हैं। मसलन दो बड़ी कंपनियों हिंदुस्तान लीवर और ब्रिटानिया को बहुत कम ब्याज पर बैंकों से कर्ज़ मिलेगा। उन्हें अपना कारोबार बढ़ाने के लिए और भी बहुत सी सुविधाएं मिलेंगी। चूंकि पहले के क़ानून इसकी इज़ाजत नहीं देते इसलिए कानून में फेरबदल करके सरकारें परा ढांचा ही बदल रही हैं।

मिला जुला नतीजा यह हुआ है कि हमारी भोजन सुरक्षा कम होती जा रही है और खेती की उपज का व्यवसायीकरण बढ़ता जा रहा है। खेतों की उपज पेट भरने के लिए नहीं बाजार के लिए होती जा रही है। अन्न की जगह नकदी फसलें उगाई जा रही हैं जैसे–कपास, गन्ना, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। इससे खाने की चीजें कम हो रही हैं व कीमतें आसमान छू रही हैं।

मंहगाई के चलते आम लोगों का ज़रूरत भर खाना भी नहीं मिल रहा है। आज़ादी के बाद 1950 के दशक में हर व्यक्ति हर महीने औरसतन 17 किलो मोटा अनाज खा पाती या पाता था, आज 40 साल बाद उसे 13.5 किलो ही मिल पाता है। कुल मिलाकार सरकार आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पा रही है। चूंकि खाद्य सुरक्षा का यह मसला सीधा हमारे परिवारों और घरों से जुड़ा हुआ है इसलिए हम औरतें अपनी रसोई, अपनी खाद्य व्यवस्था में किसी भी विदेशी दख़ल के ख़िलाफ़ संघर्ष कर रही हैं। हम नहीं चाहतीं कि हमारी सदियों पुरानी खाद्य परंपरा चंद मुनाफ़ाखोर कंपनियों के मनमाने वैज्ञानिक और व्यापारिक प्रयोगों की मोहताज होकर रह जाएं। यह हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगी। अपने इस खाद्य अधिकार संघर्ष में हम सब आपका आह्वान करते हैं।

नवधान्या सामग्री

जैव परिशोधित बीजों के विरोध की शुरूआत

(स्थानीय संवाददाता) हैदराबाद / 23 दिसंबर

साउथ एशियन नेटवर्क फ़ॉर फूड, इकॉलॉजी एंड संस्कृति ने किसानों, संगठनों और स्थानीय समूहों के एक मोर्चे के साथ मिलकर जैव परिशोधित बीजों के बहिष्कार/प्रतिरोध के लिए एक योजना को अंतिम रूप दिया।

यह राष्ट्रीय अभियान आंध्रप्रदेश से शुरू हुआ था। यह अभियान वहां के खेतों में बॉलगार्ड कपास के बीजों के परीक्षण के तौर पर खेती करने और इस संबंध में हाई कोर्ट द्वारा खेती के परमिट के लिए अंतरिम आदेश जारी करने के विरोध में किया गया था।

वैज्ञानिकों, किसान संगठनों और स्वैच्छिक संगठनों के प्रतिनिधियों की एक मीटिंग बुधवार को यहां हुई। इस मीटिंग में यह निर्णय लिया गया कि राज्य, राष्ट्रीय और दक्षिण एशियाई स्तर पर समितियां गठित की जाएं। ये समितियां जैव परिशोधित बीजों के परीक्षण के खिलाफ़ पहरेदारों की तरह काम करेंगी और बहुराष्ट्रीय बीज कंपनियों के कार्यक्रमों की जांच की रणनीतियों को अंतिम रूप देंगी।

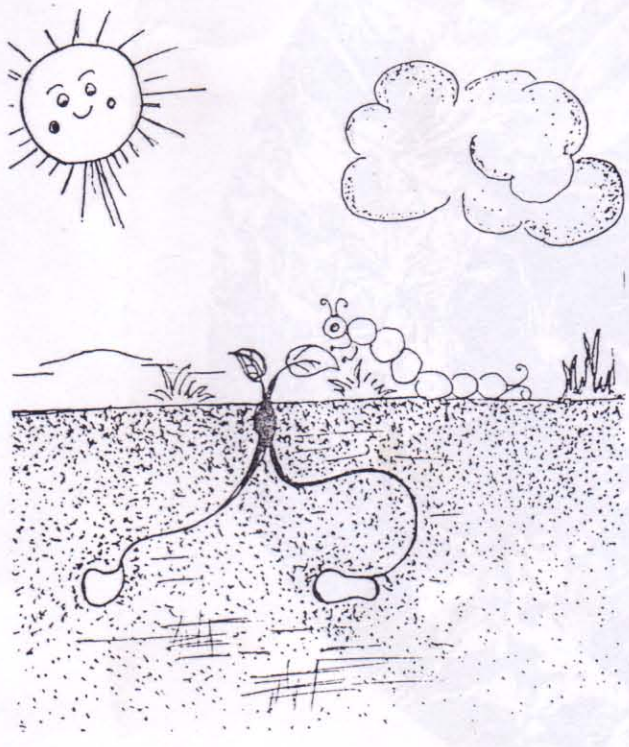

संवाददाताओं से बात करते हुए सेनफ़ेक के श्री पी. वी. सतीश और साइंस, टेक्नॉलॉजी और इकॉलॉजी रिसर्च फ़ॉउंडेशन की निदेशक डॉ वंदना शिबा ने बताया कि 'जन सुनवाई' का सिलसिला जारी रखेंगे। वैज्ञानिकों, स्वैच्छिक संगठन और किसान बालगार्ड बीजों के परीक्षण क्षेत्र (खेतों) पर इकटठा हुए। विशेषज्ञ इन जन अदालतों मे किसानों से बातचीत के बाद अपने अनुभवों के आधार पर रिपोर्ट तैयार करेंगे जो राष्ट्रीय रिपोर्ट का रूप लेगी।

ये समितियां पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट पर आई. सी. ए. आर के तहत निरंतर निगरानी रखेंगी कि वे जनहित के अपने उद्देश्य को पूरा कर रही हैं या नहीं। उन्होंने कहा कि इन रिसर्च संगठनों को विदेशी आर्थिक सहायता मिलना एक खतरनाक परंपरा बनती जा रही है।

यह भी तय किया गया कि जनहित को ध्यान में रखते हुए एक मुकदमा तैयार किया जाए ताकि पूरे देश में इस तरह के बीजों के परीक्षण को रोका जा सके। इस मीटिंग में मांग की गई कि जैव परिशोधित बीजों के विक्रय पर पांच साल तक रोक लगाई जाए जब तक कि जैविक सुरक्षा के पहलुओं को पक्का न कर लिया जाए। एन. जी. रंगा कृषि विद्यालय की खोज के बारे में डॉ वंदना शिबा का भी मत कोई स्पष्ट नहीं था कि ये बीज टर्मिनेटर तकनीक वाले हैं या नहीं।

डॉ. शिबा का कहना था कि यह ताज्जुब की बात है कि यदि यह एक विचार मात्र था तो मोनसेन्टो ने इसका पेटेंट लिया ही क्यों। ध्यान देने की बात है कि यूरोप में जिन जैव परिशोधित बीजों पर प्रतिबंध लगाया गया था उनमें कपास की फसल भी शामिल थी।

देखो देखो देखो
सरकार को देखो।
दिल्ली शहर का ये हाल देखो
सोया का बढ़ता व्यापार देखो
अमरीका की ये चाल नई
भारत पर करता ये राज देखो
देखो देखो————————
जब से आया ये सोयाबीन
खो गयी अपनी रात की नींद
लग गया अपनी काया में रोग
सेहत अपनी खो ही गयी
देखो देखो————————सरकार को देखो।

लुटेरों का अमला है– पेटेंट का हमला है

हरित क्रान्ति में हम पहले ही अपने बीजों की हजारों किस्में गंवा चुके हैं। हमारे कई बीजों की कई किस्में विदेशों में चोरी जा चुकी हैं। इतना ही नहीं विदेशी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हमारी फसलों की पद्धति तक बदलवाने में जुटी हुई हैं। अमरीकी कंपनियां लगातार अपने माल को भारतीय बाज़ार में धकेलने पर तुली हुई हैं। इस सोयाबीन से खाद्य तेल निकालने की योजना है और यह तेल हमारे अपने सरसों के तेल को विस्थापित कर देगा। यह सिर्फ़ सरसों के तेल का ही विस्थापन नहीं होगा, बल्कि खान पान की हमारी परम्परा और भोजन संस्कृति को भी समाज व्यवहार से खदेड़ देगा। यह सरसों की खेती और उससे जुड़ी हमारी आत्मनिर्भरता को खत्म करने का बहुत बड़ा पड़यंत्र है। यह हमारी कृषि संस्कृति, हमारे अपने बीजों के विनाश की तैयारी है।

हम अपने देशज बीज, कृषि की देशज पद्धति को स्वीकारने की घोषणा करते हैं। हम बहुराष्ट्रीय कंपनियों के बीजों और रसायनों का बहिष्कार करेंगे और स्वदेशी को स्वीकार करेंगे और अपने देशी खाद तैयार करेंगे और सिर्फ़ उन्हीं का प्रयोग करेंगे। यही होगा हमारी आज़ादी का नया मोर्चा।

नए पेटेंट कानून– आज का काला कानून

नए पेटेंट कानून हमारे बीजों, हमारी जड़ी बूटियों, हमारे पेड़ पौधों, हमारे पुरखों से विरासत में मिली हमारी समृद्ध ज्ञान विज्ञान परंपरा पर हमारे ही सामुदायिक व सामाजिक अधिकारों को नकारते हैं। विश्व व्यापार संगठन, बहुराष्ट्रीय कंपनियों और अमीर देशों की सरकारों के सम्मिलित दवाब में यह नया पेटेंट कानून हमें एक और भयावह गुलामी के दौर में धकेल रहा है। जो ज्ञान विज्ञान परंपरा हमारे किसानों, हमारे वैद्यों, हमारे कारीगरों और हमारे शास्त्रीय वैज्ञानिकों ने मिलकर शताब्दियों से बढ़ाई है, उसे कानूनी पेचीदगियों में उलझाकर हमसे ही छीनने का काम नए पेटेंट कानून करते हैं।

इन नए पेटेंट कानूनों को लागू करने के तहत अभी हाल ही में भारत में उन तमाम बहुराष्ट्रीय कंपनियों को भारत में एक विपणन एकाधिकार दिया गया जिन्हें अपने किसी भी उत्पाद पर विश्व में कहीं भी पेटेंट अधिकार प्राप्त है। इस सबका सीधा असर दवाओं, कृषि रसायनों और बीजों पर पड़ेगा। यह एकाधिकार भारत के आम उपभोक्ता और उद्योगपति से लेकर तमाम किसानों तक को भारी रूप से प्रभावित करेगा।

आइए! ऐतिहासिक नमक सत्याग्रह से प्रेरणा लेते हुए बीज सत्याग्रह की घोषणा करें और नए काले कानूनों को ठुकरा दें।

बीज हमारा, पेटेंट तुम्हारा नहीं चलेगा नहीं चलेगा।

ध्यान रहे नए पेटेंट कानूनों के तहत ही हल्दी, नीम, बासमती, काली मिर्च, आंवला और अश्वगंधा सहित हमारी कई जड़ी बूटियां और खेतिहर किस्में विदेशों में पेटेंट हो चुकी हैं। और अब भारत में भी ये कानून हमारी विरासत और हमारी परंपरा के लिए एक चुनौती बने हुए हैं।

ये पेटेंट भारत की जैविक ज्ञान परंपरा पर आधारित हैं

कंपनी	यू. एस पेटेंट नंबर	जैविक ज्ञान हरण/चोरी
डब्ल्यू. आर. ग्रेस 1750 क्लिंट मूर रोड बोका रेटॉन, फ़्लोरिडा अमरीका. 33487–2707	5001146, 5405612, 5409708, 5411736, 5124349, 4556562, 4946681,	आज़ाडिराक्टा इंडिका नीम/मार्गोसा ट्री
राइस टेक इंकॉ. श्लॉस वाडूज़ फ़्लैट–9490 वाडूज़ लाइकंस्टाइन	5663484	बासमती, ऑर्यजासातिवा
साबिन्सा कॉर्पोरेशन 121 एथेल रोड वेस्ट, यूनिट #6 पिस्काटावे, न्यू जर्सी 08854,अमरीका	5536505	काली मिर्च–हिंदी ब्लैक पेपर–इंगलिश, पाइपर नाइग्रुम
कैलगीन (सब्सिडीयरी ऑफ़ कॉ.) 800 उत्तरी लिंडबर्ग बुलीवार्ड सेंट लुइस, मिसॉरी 63167, अमरीका	5510255, 547991, 5494790, 5548868, 5475099, 5576428 5558834	अरंड या कैसटर मोनसेन्टो कैसटर रिसिनस कम्युनिस
कैलगीन (सब्सिडीयरी ऑफ़ मोनसेन्टो कॉ.) 800 उत्तरी लिंडबर्ग बुलीवार्ड सेंट लुइस, मिसॉरी 63167, अमरीका	5463174, 5563058, 5512482, 5455167, 5420034	सरसों/मस्टर्ड ब्रसासिका कॉम्पेस्ट्रिस
पायनियर हाइ–ब्रेड/ड्यूपॉन्ट इंटरनेशनल इंकॉ. डेस मॉइंस आईए., अमेरिका	5638637, 5625130, 5470359	सरसों/मस्टर्ड ब्रसासिका कॉम्पेस्ट्रिस

जैव पंचायत

अपनी जैव सम्पदा पर अपने अधिकार के लिए लोक स्वराज की स्थापना हेतु एक – जन आंदोलन

ईश्वर ने जैव सम्पदा को समस्त मानव समुदाय को समान रूप से दिया है...बीज, पानी, वनस्पति और ज्ञान जीवन के आधार स्तम्भ हैं... ये सभी समाज की सामूहिक व सामुदायिक संपत्ति हैं.....भारत में इनका कभी निजीकरण नहीं किया गया....परंतु अब नई आर्थिक विश्व व्यवस्था व कायदे कानून इन्हें चन्द व्यक्तियों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की निजी सम्पत्ति बनाने पर तुले हैं। ऐसी स्थिति में प्रकृति की व्यवस्था, ईश्वरीय संरचना और जीवन के अधिकार का अपहरण करने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नापाक षड़यंत्र का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए नवधान्या ने इनके षड़यंत्रों का समाज आधारित लोकतांत्रिक उत्तर दिया है।

नवधान्या ने पंचायतों की गौरवशाली परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 'जैव पंचायत' गठित करने की अनूठी पहल की है। यह भारत की लुप्त हो रही सशक्त पंचायत परंपरा का नया जन्म तो है ही साथ ही भारत की उस जैव सम्पदा को दोबारा पाने की कोशिश भी है जिसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां छल, कपट व चोरी से लूट रही हैं।

गढ़वाल के अगस्त्य मुनि गांव में गठित पहली जैव पंचायत में इस लूट और साम्राज्यवादी शोषण से अपने प्राकृतिक संसाधनों और जैव सम्पदा की रक्षा का संकल्प लिया गया।

जैव पंचायत घोषणा पत्र

मंदाकिनी मिलन अगस्त्य मुनि

घोषणा : 5, जून 99, विश्व पर्यावरण दिवस

आज दिनांक 5 जून, 1999 विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हम सभी लोग सबसे पहले संकल्प लेते हैं कि हम अपने विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, गाय भैंस आदि पशु धन एवं अन्य समस्त जैव सम्पदा की रक्षा अपने पूर्वजों की धरोहर एवं उपहार के रूप में पूजनीय समझकर करते रहेंगे।

अगस्त्य ऋृषि महाराज की इस पवित्र धरती पर यह संकल्प और भी प्रभावकारी होगा क्योंकि महर्षि अगस्त्य जी ने अपने कठिन एवं अगाध तपस्या और ऋर्षि साधना फल के द्वारा ही चलायमान विंध्याचल पर्वत की गति को स्थिर किया। इसी कारण वे अगस्त्य नाम से प्रसिद्ध हुए।

महर्षि अगस्त्य, महर्षि जमदग्नि, ऋृषि अत्रि एवं सती अनुसूया आदि महर्षि समाज द्वारा इस पर्वत प्रदेश की समस्त जड़ी बूटियां, वृक्ष वनस्पति व अन्य मूल्यवान जैव सम्पदा का संरक्षण, वृद्धि और मानव हित व प्रकृति के हित में शोध किया गया। उसके बाद महर्षि चरक, सुश्रुत जैसे ऋृषियों और आचार्यों के द्वारा इस जैव सम्पदा की विवेचना करके 'संहिता' व 'निघंटु' नाम के ग्रंथों की रचना की गई और इन ग्रंथों को जन कल्याण के लिए समाज को सौंप दिया गया।

साथ ही हमारे हिमालय प्रदेश की इस जैव संपदा की रक्षा, वृद्धि तथा मानव हित के लिए उसका दोहन करने का अधिकार हमारे पूर्वजों को दीया गया जो कि वंशानुगत अब हमारा दायित्व है। अतः हम शपथ लेते हुए घोषणा करते हैं कि हम अपने पूर्वजों की प्राचीन धरोहर स्वरूप इस विभिन्न जैव सम्पदा को किन्हीं भी अप्रिय तत्वों द्वारा अनैतिक रूप से दोहन और उस पर एकाधिकार नहीं करने देंगे। ताकि हमारे देश में वास्तविक लोकतंत्र की रक्षा होकर हरेक नागरिक अपनी जैव संपत्ति से जुड़ सके, हमारे देश का हरेक नागरिक इस जैविक संपत्ति को अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यवहारिक बना सके और जैव पंचायत की सोच को जीवित रख सके। हमारी अैव संपदा आजादी से फल-फुल सके।

हम सभी लोग मिलजुल कर इस विविध जैव संपदा की रक्षा करेंगे। गाय, बैल, भैंस, भेड़, बकरी, कुत्ता, बिल्ली, शेर, बाघ, भालू, गगनचर पक्षी, पेड़-पौधे, मूल्यवान जड़ी बूटियों व खाद पानी मिट्टी, बीज आदि सभी हमारी जैव संपदा हैं। इन पर हम किसी भी बाहरी व्यक्ति का अधिकार नहीं होने देंगे।

महिलाओं के अधिकार चार्टर

संविधान

संविधान के 47 वें अनुच्छेद में राज्य द्वारा यह गारंटी दी गई है कि देश के सभी नागरिकों के रहन सहन व पौष्टिक आहार के स्तरों को बढ़ाना व स्वास्थ्य को गिरने से बचाना राज्य के प्रमुख कर्तव्यों में से है। राज्य के यह कर्तव्य सभी नागरिकों के स्वास्थ्य और पोषण के बुनियादी अधिकारों का ध्यान दिलाता है। 21वें अनुच्छेद में संविधान द्वारा 'भारत के सभी नागरिकों को जीने के अधिकार' की गारंटी दी है।

गैर मिलावटी और सुरक्षित आहार एक बुनियादी मानव अधिकार है और संविधान द्वारा सुरक्षित है। इसे वर्तमान और भावी आर्थिक नीति का हिस्सा बनाए रखना बहुत जरूरी है। एक सी कोई भी नीति जो हमारे आहार अधिकारों को उचित महत्व नहीं देती हमें स्वीकार्य नहीं है।

पोषण–आहार

परिवार में महिलाओं को सबसे बाद में और सबसे कम भोजन मिलता है। यही कारण है कि भारत में 80 प्रतिशत महिलाएं खून की कमी से पीड़ित हैं। 20 प्रतिशत अपनी पूरी लंबाई तक नहीं पहुंचतीं। (4 फीट दस इंच से कम) और उनका मां बनना खतरे से खाली नहीं है। मां को पौष्टिक आहार न मिलने से बच्चों का पोषण भी कम हो जाता है और एक तिहाई बच्चों का पैदाइशी वजन बहुत कम होता है। भारत में पांच वर्ष से कम उम्र के 52 प्रतिशत बच्चे कुपोषण से पीड़ित हैं(यूनिसेफ़)। असलियत तो यह कि एक तिहाई महिला परिवार की मुखिया हैं यानि परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी उनकी हैं। बढ़ती मंहगाई के कारण उनके लिए बच्चों व स्वयं अपनी देखभाल में और भी कठिनाइयां आती हैं। उनके कंधों पर घरेलू काम, कमाने के लिए काम और बच्चे जनना व उनकी देखभाल का तिहरा बोझ रहता है।

खाद्य परकृषि नीति में लिंग को भी आधार बनाना चाहिए ताकि हर लिंग, वर्ग व आयु के लोगों को उनके पोषण संबंधी बुनियादी अधिकार समान रूप से मिल सके।

कृषि

भारतीय कृषि और खाद्य उत्पादन सुरक्षा, बढ़ती कीमतों के कारण तेजी से एक संकटपूर्ण स्थिति की ओर बढ़ रही है। खाद्य उत्पादन में लगातार कटौती व व्यवसायिक निर्यात योग्य फसलों में बढ़ोतरी स्पष्ट देखने में आ रही है। 1971 से मोटे अनाजों (गरीबों का मुख्य भोजन) के उत्पादन 1971 के 1,988,000 टन से घटकर 821,9000 टन रह गया है। खेतीहर क्षेत्र में 1970–71 में 45.95 लाख हेक्टेयर भूमि से 1995–96 में घट कर 31.490 लाख हेक्टेयर भूमि में ही रह गया है। 1970–71 में ज्वार की खेती 17.370 लाख हेक्टर ज़मीन में होती थी जो कि 1995–96 में घटकर 11.440 लाख हेक्टेयर रह गई है।

सार्वजनिक वितरण

भारत में व्यापारिक उदारीकरण व ढांचागत समायोजन नीतियां 1991 में शुरू की गई थीं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों की खरीद तब से 207. 36 लाख टन रह गई है। 1997–98 में इसमें 25.6 प्रतिशत की कटौती हुई। अप्रैल मई में यह 28 प्रतिशत घटा।

खाद्य कीमतें

भारत में बुनियादी खाद्यान्नों (गेंहूं और चावल) की कीमतों में अन्तर्राष्ट्रीय बाजार की तुलना में कहीं ज्यादा बढ़ोतरी हुई हैं। उदाहरण के लिए भारत में 1992–93 में गेंहूं की थोक कीमत 304.00 प्रति क्विंटल थी जबके संयुक्त राज्य अमेरिका में यह 190 रूपए ही थी। इसी तरह भारत में चावल 481 रू. प्रति क्विंटल था जबकि अमरीका में 181 रू. प्रति क्विंटल। जुलाई 1997 से जुलाई 1998 में गेहूं और चावल के थोक दामों में क्रमशः 125 और 22 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती कीमतों के कारण गरीबों को और भी कम आहार मिल पा रहा है।

खाद्यान्न निर्यात

खाद्यों के कम उपभोग किए जाने के कारण एक गलत धारणा यह बनी है कि देश में अतिरिक्त खाद्यान्न हैं और इसे निर्यात किया जा सकता हैं उपभोग में कमी का कारण बढ़ती मंहगाई और राशन से कम कोटा मिलना है। इस तरह

लोगों के आहार अधिकारों का हनन करके खाद्यान्नों का निर्यात किया जा रहा है। 1991-92 में अनाज का निर्यात कुल आयात का 12 प्रतिशत था जो 1995-96 में बढ़कर 27 प्रतिशत हो गया। 1950 के दशक तक अनाज का उपभोग 17 किलोग्राम प्रतिमाह से घटकर 13.5 किलोग्राम हो गया।

भूमंडलीकरण

खाद्य कीमतों के बढ़ने का कारण सरकार मौसमी व अन्य बाहरी तत्व बता रही है। जबकि असलियत कुछ और ही है। यह सब विश्व बैंक अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व व्यापार संगठन की मिली साजिश से ही हुआ है। उनकी खाद्यान्न नीतियां ऐसी बनाई गई कि भारत की खाद्यान्न कीमतें भी अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की हो जाएं। विश्व बैंक अब यह सलाह दे रहा है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए बहुत थोड़ा अन्न खरीदा जाए और अब तक राशन की दुकान पर कम दामों में उपलब्ध खाद्य वस्तुएं खुले बाज़ार में ही बिकें व जहां से लोग उन्हें खरीदें। 'कृषि विकास चलता रहे' शीर्षक की विश्व बैंक की रपट में कहा गया है कि 'कृषि व फार्म उत्पादों के दाम विश्व कीमतों पर पहुंचने दो और अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार से सभी नियंत्रण हटा लो।' (वर्ष 2003 तक सभी आयात नियंत्रण धीरे धीरे खत्म कर दिए जाएं।) घरेलू व्यापार से भी धीरे धीरे नियंत्रण हटा जाएं। संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टी. पी. डी. एस) द्वारा वितरण के लिए क्षेत्रीय और मौसमी खरीद के दामों पर से भी नियंत्रण हटाए जाएं।(विश्व बैंक रिपोर्ट न. 18089, आई एन–'भारत 1998–वृहत् आर्थिक नवीनतम ब्यौरा विकास तथा गरीबी कम करने के लिए सुधार)

विश्व बैंक को भारत की अधिकांश जनता का संकट शायद काफ़ी नहीं लगा अब वह लोगों के खाद्य या आहार अधिकारों को भी अनदेखा करके हमारी सरकार पर उनकी (विश्व बैंक) की नीतियों के पालन करने का दबाव डाल रहा है।

भूमंडलीकरण का नतीजा यह हुआ है कि औरतों को और भी कम खाने को मिल रहा है। चूंकि लोग कम खा रहे हैं, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए और भी कम अनाज उठाया जा रहा है। महिलाओं व बच्चों की कीमत पर व्यापार को प्राथमिकता दी जा रही है। आज उनका स्वास्थ्य व आर्थिक सुरक्षा दोनों ही खतरे में है। खाद्य सुरक्षा पर खतरे की आशंका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे की आशंका हैं। महिलाएं व बच्चे सबसे ज्यादा तब उत्पीड़ित होते हैं जब उनके खाद्य

अधिकार खतरे में दिखते हैं। इसलिए हमारी मुख्य चिंता महिलाओं व बच्चों के खाद्य अधिकारों की होनी चाहिए।

1. हम विभिन्न समूहों और संगठनों की महिलाओं की मांग है कि हमारे संविधान द्वारा मिले खाद्य अधिकारों की रक्षा की जाए। चाहे जो भी राजनैतिक या आर्थिक शासन सत्ता हो।

2. हमारी मांग है कि सरकार बीच बचाव करके बढ़ती कीमतों और मुद्रा प्रसार पर रोक लगाए। इन नीतियों का ढांचागत समायोजन कार्यक्रम से सीधा जुड़ाव है।

हमारी मांग है कि 'आवश्यक वस्तुएं अधिनियम को फिर से लागू किया जाए ताकि जमाखोरों और काले धंधे करने वालों के कारण आम जनता को होने वाली परेशानियों को रोका जा सके।

4. हमारी सरकार से मांग है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को विभिन्न स्तरों पर मजबूत किया जाए। सरकार को विभिन्न खाद्यान्न बैंक बनाने चाहिए जिसमें सरकार की अहम् भूमिका हो। यह बैंक निचले स्तर पर भी बनाए जाएं जिसे समुदाय या महिलाएं चलाएं। इससे लोगों को खाद्य सुरक्षा मिलेगी और समुदाय स्तर पर इसे ही सार्वजनिक वितरण प्रणाली का आधार बनाया जा सकता है।

5. भूमि सुधार पूरी तरह व पूरी सच्चाई के साथ लागू करे जाएं। भूमि अधिग्रहण की उच्चतम सीमा को हटाए जाने पर तुरंत रोक लगाई जाए। कृषि में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर भी तुरंत रोक लगाई जानी चाहिए।

6. सार्वजनिक निवेश में कमी और कृषि क्षेत्र में बड़ी बड़ी कंपनियों के प्रवेश से किसान अपने को बड़ी कमजोर स्थिति में पाते हैं। हम सरकार से मांग करते हैं कि कृषि क्षेत्र में सार्वजनिक निवेश को बढ़ावा दिया जाए और इसमें बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश पर रोक लगाई जाए।

7. महिलाओं की विश्व बैंक से मांग है कि कषि क्षेत्र में ढांचागत समायोजन कार्यकम जबरदस्ती लागू न किया जाए क्योंकि इससे भुखमरी और कुपोषण बढ़ेगा।

8. हम सरकार से मांग करते हैं कि बिना लाइसेंस और जरूरत के बिना सोयाबीन के दस लाख टन आयात पर रोक लगाई जाए। आम लोगों की खाद्य जरूरतों में वह शामिल नहीं है। इस प्रकार के आयात से किसानों की (जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं) रोजी रोटी जाने की आशंका है। इससे महिलाओं के स्वास्थ्य को भी खतरा हैं क्योंकि सरकार जैविक अभियांत्रीय सोयाबीन पर न तो रोक लगा सकी है और न इस मांग को पूरा करवा सकी है कि सभी जैविक अभियांत्रीय खाद्य पदार्थों पर अलग से लेबल लगाए जाएं।

9.हम सभी जैविक अभियांत्रीय खाद्यों का बहिष्कार करते हैं। इससे लोगों का स्वाभाविक विकास रूक रहा है। इससे लोगों का स्वाभाविक विकास रूका है और शरीर की स्वाभाविक प्रतिरोधक शक्ति का ह्रास हुआ है। चूंकि कुपोषण का शिकार महिलाएं ही ज्यादा हैं। इसलिए जैविक अभियांत्रीय खाद्य पदार्थों का बुरा असर भी सबसे ज्यादा महिलाओं पर पड़ेगा।

10. सरकार कीमतों की वृद्धि पर इस तरह रोक लगाए कि महिलाओं की आहार संबंधी जरूरतें पूरी हो सकें। हमारी सरकार से मांग है कि मोटे अनाजों खासकर ज्वार बाजरा और खलिहान (फलीदार सब्जियां) के सरकारी खरीद के दाम बढ़ाए जाएं ताकि किसान इनकी खेती पुनः करने के लिए प्रेरित हो सकें। गैर खाद्य फसलें जो उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्ति के लिए उगाई जाती हैं। सरकार उनकी कीमत न तय करे। उद्योगपतियों के पास उन्हें बाज़ारी कीमत पर खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा है।

11. तैयार खाद्य उत्पादन हमेशा से महिलाओं का आर्थिक क्षेत्र रहा है। सरकार अब तैयार खाद्य पदार्थ उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भारी सब्सिडी दे रही है। इससे महिलाओं के रोजगारों को धक्का लगा है और लोगों को अस्वास्थ्यकर खाद्य वस्तुएं जैसे आलू के चिप्स, नूडल्स और शीतल पेय की आदत डाली जा रही है। खाद्य स्रोतों का उद्योगों द्वारा व्यवसायिक इस्तेमाल से घरेलू उपभोग की वस्तुओं में कमी आई है और उनके दाम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। हमारी मांग है कि तैयार खाद्य उद्योगों को घरेलू व लघु उद्योगों तक सीमित किया जाए।

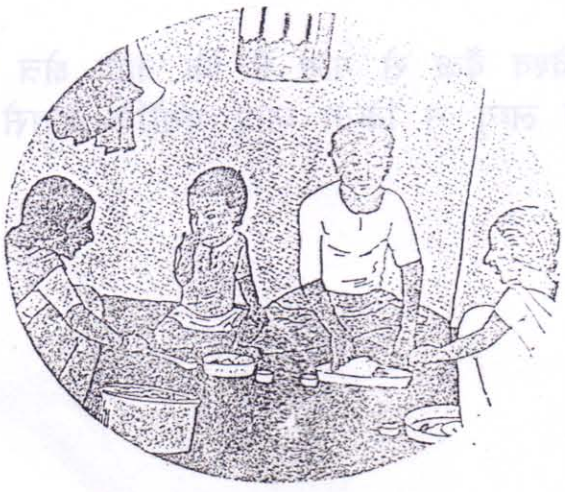

12.हम सरकार से मांग करते हैं कि आवश्यक खाद्य वस्तुओं के निर्यात पर पूरी रोक लगाई जाए। हमारी मांग है कि देश के बच्चों व महिलाओं की खाद्य जरूरतों को सबसे पहले पूरा किया जाए। फिर अगर बचे तो उसे निर्यात किया जाए। महिलाओं को जीवित रहने भर के लिए बचा खुचा खाद्य आहार मिलने की बजाए भूमंडलीय व्यापार के लिए बचा खुचा खाद्य दिया जाए पहले देश के लोगों के खाद्य अधिकार सुरक्षित किए जाएं फिर वे देश के बाहर भेजे जाएं।

खाद्य अधिकार अभियान
ए–60, हौज़खास, नई दिल्ली–110016
दूरभाष–6969077
फैक्स–6856795

भारत सरकार से हमारी मांगें

–हम केरल के कृषि मंत्री द्वारा तिलहनों के मुक्त आयात के आदेश को रोकने और ओ. जी. एल लिस्ट से तिलहनों को हटाने की मांग का समर्थन करते हैं।

–सरकार को सरसों के तेल का ऊंचा समर्थन मूल्य (खरीद मूल्य) घोषित करना चाहिए ताकि किसान उसे अधिक से अधिक उगाएं और वर्तमान प्रतिबंध का हमारी कृषि पर कोई बुरा असर न पड़े।

–सरसों का तेल बनाने और उसके वितरण की प्रक्रिया पूरे सुरक्षा प्रतिबंध से युक्त होनी चाहिए ताकि उस पर लगे बैन को जल्दी से हटाया जा सके और हमारे इस सांस्कृतिक खाद्य तेल में लोगों के विश्वास को दोबारा लाया जा सके।

–सरकार को खाद्य तेल के लिए जैव परिशोधित सोयाबीन का आयात नहीं करना चाहिए। अगर भारत निर्यातक देशों से जैव परिशोधन मुक्त व्यापार की गारंटी नहीं पाता तो तिलहनों खासकर सोयाबीन को जैव परिशोधित खाद्य पदार्थ और गैर जैव परिशोधित पदार्थों में बांट देना चाहिए।

–जैव परिशोधन प्रक्रिया से मिलने वाले खाद्य पदार्थों पर ऐसा लेबल लगा होना चाहिए जिससे पता चलता हो कि वे जैव परिशोधित हैं, क्योंकि जब से जैव परिशोधित फसलों में जानवरों और जीव जन्तुओं के जीन्स का इस्तेमाल होने लगा है, तब से उपभोक्ताओं के खाद्य अधिकारों का मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। इससे कई लोगों के धार्मिक विश्वास टूटते हैं। लोगों पर ऐसे खाद्य पदार्थों को थोपना उनके धार्मिक विश्वास आदि पर एक तरह की हिंसा ही है। विभिन्न धार्मिक विश्वासों की रक्षा करना अखण्डता का केंद्र होता है। इसलिए जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों पर लेबल का होना अनिवार्य हो जाता है।

–खाद्य पदार्थों में मिलावट अधिनियम के प्रतिबंधों के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी जोड़ा जाना चाहिए।

–जैव परिशोधित खाद्य पदार्थों से जुड़े पदार्थों से जुड़कर खाद्य मिलावट और जैविक प्रदूषण के अदृश्य रूपों पर खास विशिष्ट सुरक्षा परीक्षण होने चाहिए ताकि उपभोक्ताओं को सुरक्षित भोजन मिल सके जो जैव परिशोधन के नुकसानों से मुक्त हो।

श्री मान मिके मूरे
महानिदेशक
विश्व व्यापार संगठन
सेंटर विलियम रेपर्ड
रयू डी लॉस्ने 154
केस पोस्टले
सी एच–1211 जिनेवा 21
स्विटज़रलैंड।

Mr. Mike Moore
Director General
World Trade Organisation
Centre William Rappard
Rue de Lausanne 154
Case Postale
CH - 1211 Geneve 21
Switzerland

प्रिय श्री मान मोरे,

विषय : जैव विविधता और विश्व व्यापार संगठन

भारत एक ऐसा देश है जिसकी सदियों पुरानी जैव विविधता रही है। जिसे भारतीय लोग अपने पारंपरिक तरीकों और अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था में सहेजते आए हैं। यहां तक कि आज भी हमारी दो तिहाई जनसंख्या जैविक संसाधनों और देशी ज्ञान पर पूरी तरह निर्भर हैं। इन संसाधनों और ज्ञान का आपसी सहयोग के आधार पर प्रयोग होता है ताकि ग़रीबों के जीवन और उनकी ज़रूरतें पूरी होती रहें। इस समझौते के द्वारा विश्व व्यापार संगठन द्वारा बनाए गए नियमों के द्वारा बौद्धिक संपति अधिकार संबंधी मामलों में सीधा विवाद खड़ा हो जाता है। ट्रिप्स ने अनुचित और अनैतिक बौद्धिक संपत्ति अधिकार व्यवस्था को सार्वभौमिक और कानूनी मान्यता दी है जो हमारे देशी ज्ञान के साथ होने वाली धोखाधड़ी को बढ़ावा देता है और जो हमारी स्वायत्त लोकतांत्रिक व्यवस्था का नाश करता है।

भारत और उसका कानून हमारे स्थानीय समुदायों व उनकी क्षेत्रीय जैव–विविधता को पूरी मान्यता देता है। भारतीय संविधान में 73 वें संशोधन के बाद अधिनियम 1992 के तहत स्वायत्त लोकतंत्र के लिए गांवों में पंचायती राज को लागू किया गया है। इसके बाद 1996 में नए संशोधन के द्वारा 'ग्राम सभा' (विलेज .कम्युनिटी) को अपने ग्रामीण स्तर पर प्राकृतिक संसाधनों के बारे में निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार सौंपा गया है। हमारी सरकार ने भी वर्ष 1999–2000

आज विभिन्न बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा हमारी जैव संपदा की कई अमूल्य वनस्पतियों पर पेटेंट पाकर उन्हें अपना बताया जा रहा है। हम चाहते हैं कि उनकी इस कुटिल चाल का गांव गांव को पता चले। इसलिए नवधान्या ने इन कंपनियों को ग्राम पंचायतों व जैव पंचायतों की ओर से नोटिस भिजवाने का एक अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत देश भर के गांवों से किसान भाइयों ने इन पेटेंटों के विरोध में विश्व व्यापार संगठन को नोटिस भेजे और उन्हें इस बात से आगाह किया कि हमारी जैविक संपदा के साथ ऐसा मनमाना खिलवाड़ हम किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम सब भारतवासी अपनी जैविक संपदा की रक्षा और खाद्य अधिकारों के इस संघर्ष में एक साथ, एकजुट हैं।

जैविक लूट करने वालों को नोटिस

जैव पंचायत के द्वारा

गांव :
डाकघर :
जिला :
राज्य :
दिनांक :

सेवा में,
उच्च कार्यकारी अधिकारी
डब्ल्यू. आर. ग्रेस एण्ड कम्पनी,
1750, क्लाइंट मोरे, बोका रेटन,
फ्लोरिडा, यू. एस. ए. 33487–2707.

To,
The CEO
W. R. Grace & Co.,
1750, Clint Moore Road,
Boca Raton,
Florida,
U.S.A., 33487- 2707.

महोदय ,

आपके कार्पोरेशन कोमाक रिसर्च इस्टी. ने हमारे सदियों पुराने देशी ज्ञान और खोज की नकल की है, क्योंकि आपने हमारे नीम के सामूहिक रूप से एकत्रित ज्ञान को अपनी खोज बताकर उसे पेटेंट कर लिया है। इसका पेटेंट नम्बर है–यू. एस–4556562,यू. एस.4946681, यू.एस 5001146, यू.एस 5124349, यू.एस 5405612, यू.एस 5409708, यू.एस 5411736,यू.एस 5397571. यह पेटेंट ग़ैरकानूनी, अनैतिक और अनुचित है।

ये पेटेंट हमारी आम जनता की मांगों और नैतिक आधारों का उल्लंघन करते हैं। क्योंकि इनमें हमारी सम्माननीय पुरातन ज्ञान व्यवस्था और पौधों को अपनी उत्पाद और खोज व संपत्ति बताया गया है। हमारे पौधे हमारे लिए बहुत पौराणिक महत्व रखते हैं। हमारे पौधे हमारे भूमंडलीय परिवार का हिस्सा हैं। हमारे यहां 'वसधैव कटम्बकम' की धारणा में सारे प्राणी ही हमारे परिवार का

को 'ग्राम सभा वर्ष'' घोषित करके इसी बात को सिद्ध किया गया है। जैव विविधता के विषय में ग्राम सभा के क्षेत्राधिकार और जैव विविधता संबंधी उनके ज्ञान को चुनौती नहीं दी जा सकती।

जैव विविधता सम्मेलन (C.B.D.) भी स्थानीय समूहों के इन सर्वोच्च अधिकारों को मान्यता देता है। भारत ने C.B.D का समर्थन किया और वह उसमें वर्णित अधिकारों को सर्वोच्च मान्यता दिलाने की कोशिश करता है। जैव विविधता के इन अधिकारों और व उससे संबंधित ज्ञान को हस्तांरित नहीं किया जा सकता।

हम इस ओर आपका ध्यान दिलाना चाहते हैं कि विश्व व्यापार संगठन और खासकर ट्रिप्स ने अपने नीतियों और कानूनों के द्वारा इन अधिकारों का उल्लंघन करने का अपराध किया है। ट्रिप्स ने जैव विविधता और उसके ज्ञान संबंधी सामान्य संपत्ति अधिकारों का उल्लंघन किया है। अपने इस काम के द्वारा वह निजी संपत्ति अधिकारों को बढ़ावा दे रही है जो पश्चिम की औद्योगिक संस्कृति पर आधारित है। ट्रिप्स जैव हरण/जैविक चोरी को बढ़ावा दे रही है। हम इस नोटिस के साथ जैव डकैतों की लिस्ट भी संलग्न कर रहे हैं जो सदियों से हमारे देश और हमारी संस्कृति का हिस्सा रही है उस जैव विविधता को ग़लत ढंग से अपनी खोज और अपना सृजन बता रहे हैं।

हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके किसी भी ऐसे निर्णय को नहीं मानेंगे जो हमारे स्वायत्त लोकतंत्र के तहत सिर्फ़ हमारे क्षेत्राधिकार में आता है। हमारे संविधान और C.B.D. द्वारा प्रदान किए गए अपने अहस्तांतरणीय अधिकारों के आधार पर हम विश्व व्यापार संगठन को यह अनुमति नहीं देंगे कि वह हमारे इन अधिकारों का अवमूल्यन करे और उन लोगों की रक्षा करे जो हमारी जैव विविधता के ज्ञान को चुराते हैं।

विश्व व्यापार संगठन के मतानुसार इस वर्ष ट्रिप्स की समीक्षा की जानी चाहिए। हम ट्रिप्स में फ़ौरन संशोधन की मांग करते हैं। हम यह भी मांग करते हैं कि जैव विविधता को भूमंडलीय स्तर पर बौद्धिक संपत्ति अधिकारों से बाहर रखा जाए और हमारे स्थानीय अधिकारों को स्वीकृति देते हुए कानून बनाए जाएं व इस संदर्भ में हमारे स्वामित्व को निश्चित करते हुए इस मुद्दे को सुलझाएं, सुनिश्चित करें।

हम निम्न ग्राम सभाओं के सदस्यों के रूप में सर्वोच्च शक्ति होने के नाते आपसे आशा करते हैं कि आप इन विषय पर हमें अपनी रिपोर्ट दें :

1. ट्रिप्स में संशोधन के लिए आप क्या कर रहे हैं ?
2. आप (D.C.M.) को उचित ढंग से व्यवस्थित करने के लिए क्या कर रहे हैं।

खासतौर पर हम आपसे अपने स्वायत्त लोकतांत्रिक अधिकारों को ध्यान में रखते हुए अमेरिका और भारत के बीच विवाद को दोबारा खोले जाने की मांग करते हैं।

पर हम अपने स्तर पर इस मुददे को जन सुनवाई के लिए जनता के बीच चर्चा में लाने के प्रयासों में जुटे हुये हैं।

सहयोग की आशा में,

भारत के नागरिक और ग्राम सभा के सदस्य ।

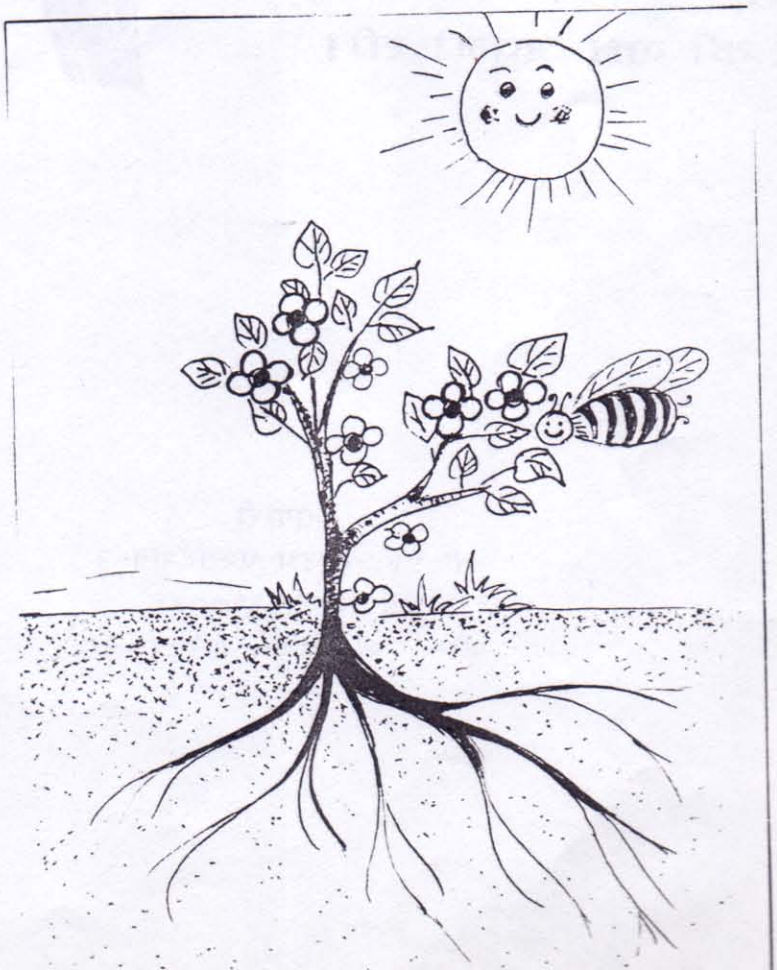

धरती की कोख में —
रोपकर एक बीज,
हम मांगेंगे— आकाश से,
एक बूंद,
एक दाना,
ऐसा—जो
एक नहीं;
भर सके करोड़ों का पेट
भरपेट।
जो हो अपना,
जिसके गर्भ से —
आती हो;
मिट्टी की गंध अपनी सी।

जागोरी
सी-५४, साउथ एक्सटेंशन-२
नई दिल्ली-११००४९
फ़ोन-६२५७०१५, ६२५३६२९